2026



राज्य

सभा

जवाब

मानसून सत्र, 2026

[राज्य सभा का 271वां सत्र]

[20 जुलाई, 2026 से 13 अगस्त, 2026 तक]

अनुक्रमणिका

क्रम सं.	प्रश्न संख्या	प्रश्न का प्रकार	दिनांक	विषय	प्रभाग	पृष्ठ संख्या
1.	***50**	**तारांकित**	**23.07.2026**	**दिशा 2.0 का उद्देश्य**	**A2J**	**1-3**
2.	***56**	**तारांकित**	**23.07.2026**	**फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय**	**e-Courts**	**4-8**
3.	587	अतारांकित	23.07.2026	कानूनी सुधार	NMJR-I	9-11
4.	588	अतारांकित	23.07.2026	फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (FTSC)	J-II	12-16
5.	589	अतारांकित	23.07.2026	अल्पसंख्यक समुदायों के न्यायाधीश	Apptts.	17-18
6.	590	अतारांकित	23.07.2026	सर्किट पीठ/सर्वोच्च न्यायालय की पीठ	Apptts.	19-20
7.	591	अतारांकित	23.07.2026	जिला न्यायपालिका का बुनियादी ढाँचा	NMJR-I	21-23
8.	592	अतारांकित	23.07.2026	जम्मू और कश्मीर में निःशुल्क कानूनी सहायता की प्रभावशीलता	A2J	24-25
9.	593	अतारांकित	23.07.2026	ई-सावा केंद्र	e-Courts	26-28
10.	594	अतारांकित	23.07.2026	न्यायिक नियुक्ति में विलंब	Apptts.	29-31
11.	595	अतारांकित	23.07.2026	न्यायिक नियुक्तियों और न्यायिक सुधारों की स्थिति	Apptts.	32-33
12.	596	अतारांकित	23.07.2026	ओडिशा में न्यायालयों का डिजिटलीकरण	e-Courts	34-35
13.	597	अतारांकित	23.07.2026	भारतीय न्यायालयों में लंबित मामले	NMJR-I	36-39
14.	599	अतारांकित	23.07.2026	न्यायालय का बुनियादी ढाँचा और एआई एकीकरण	e-Courts	40-41
15.	***126**	तारांकित	30.07.2026	**न्याय तक पहुँच और कानूनी सहायता**	**LAP**	**42-46**
16.	***131**	तारांकित	30.07.2026	**न्यायाधीशों के रिक्त पद**	**Apptts.**	**47-49**
17.	1385	अतारांकित	30.07.2026	कानूनी सहायता तक पहुँच को सुदृढ़ करना	A2J	50-52
18.	1386	अतारांकित	30.07.2026	राजस्थान में ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन	e-Courts	53-56
19.	1387	अतारांकित	30.07.2026	न्याय वितरण प्रणाली का डिजिटलीकरण	e-Courts	55-59
20.	1388	अतारांकित	30.07.2026	ओडिशा के दूरस्थ जिलों में न्यायालयों तक पहुँच	e-Courts	60
21.	1389	अतारांकित	30.07.2026	ओडिशा न्यायिक अकादमी को सुदृढ़ करना	J-II	61
22.	1391	अतारांकित	30.07.2026	जमानत का सूत्र	LAP	62-63
23.	1393	अतारांकित	30.07.2026	हरियाणा में कानूनी सहायता सेवाएँ	A2J	64-65
24.	1396	अतारांकित	30.07.2026	ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना का चरण III	e-Courts	66-70

25.	1398	अतारांकित	30.07.2026	न्यायाधीशों के रिक्त पद	NJMR-I	71-73
26.	1399	अतारांकित	30.07.2026	अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) का गठन	Apptts.	74-75
27.	***197**	**तारांकित**	**06.08.2026**	**न्यायालयों में पद और रिक्तियाँ**	**Apptts.**	**76-78**
28.	2189	अतारांकित	06.08.2026	ई-लोक अदालत	LAP	79-81
29.	2191	अतारांकित	06.08.2026	अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मामले	NMJR-I	82-83
30.	2193	अतारांकित	06.08.2026	न्याय प्रदान करने में विलंब	NMJR-I	84
31.	2194	अतारांकित	06.08.2026	यौन अपराध के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश	J-II	85-86
32.	***281**	**तारांकित**	**13.08.2026**	**विचाराधीन कैदियों के लिए कानूनी सहायता**	**LAP**	**87-92**
33.	2978	अतारांकित	13.08.2026	न्यायालयों में महिलाओं के अनुकूल बुनियादी ढाँचा	NMJR-II	93-94
34.	2979	अतारांकित	13.08.2026	लंबित मामलों को कम करना	J-II	95-97
35.	2980	अतारांकित	13.08.2026	बिहार के अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामले	NMJR-I	98-100
36.	2981	अतारांकित	13.08.2026	ई-कोर्ट्स एकीकृत मिशन परियोजना का कार्यान्वयन	e-Courts	101-103
37.	2983	अतारांकित	13.08.2026	न्यायिक बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करना	NMJR-II	104-105
38.	2985	अतारांकित	13.08.2026	FTSCs के लिए राष्ट्रीय प्रदर्शन ढाँचा	J-II	106-107
39.	2986	अतारांकित	13.08.2026	FTSs और FTSCs में लंबित मामले	J-II	108-112
40.	2987	अतारांकित	13.08.2026	न्यायपालिका में रिक्तियाँ	NMJR-I	113-114
41.	2990	अतारांकित	13.08.2026	उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति	Apptts.	115-116

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *50
जिसका उत्तर गुरुवार, 23 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

दिशा 2.0 के उद्देश्य

***50 श्री मस्तान राव यादव बीडा :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के दौरान प्रस्तावित 'भारत में समग्र न्याय तक पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना (दिशा)' 2.0 योजना का कार्यान्वयन ढांचा, वित्तीय परिव्यय और घटक-वार उद्देश्य क्या हैं ;

(ख) वर्ष 2026-27 के दौरान नवनिर्मित विधि-संजीवनी घटक और केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ;

(ग) इस योजना के तहत एआई-संचालित न्याय सेतु चैटबॉट को शुरू करने की क्या कार्ययोजना है ; और

(घ) दिशा 2.0 के परिणामों का आकलन करने और अंतिम छोर तक न्याय की पहुंच में सुधार करने के लिए कौन-से निगरानी तंत्र को अपनाए जाने का प्रस्ताव है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

****

'दिशा 2.0 के उद्देश्य' के संबंध में पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *50 जिसका उत्तर तारीख 23.07.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

(क) और (ख) : डिज़ाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन्स फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस (दिशा) 2.0, वर्ष 2026-2031 की अवधि के लिए 255 करोड़ रुपए के अनुमोदित वित्तीय परिव्यय के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है । दिशा 2.0 का उद्देश्य प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए विधिक सेवाओं के लिए नागरिक-अनुकूल समाधान मंचों का विकास करना तथा उनकी पहुंच का विस्तार करना है । इसके चार प्रमुख घटक हैं, अर्थात् टेली-लॉ : उन तक पहुंचना जहां पहुंच नहीं है (सभी के लिए निःशुल्क वाद-पूर्व विधिक परामर्श); न्याय बंधु (प्रो बोनो विधिक सेवाएं) कार्यक्रम; विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम; और विधि (सौहार्दपूर्ण विधिक पहल के एकीकृत परिदान के लिए विजन)- संजीवनी ।

टेली-लॉ पंचायत स्तर पर स्थित सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी)/ग्राम स्तरीय उद्यम (वीएलईज) पर उपलब्ध वीडियो/टेली-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के माध्यम से वाद-पूर्व विधिक परामर्श प्रदान करने के लिए जनता को मोबाइल ऐप और टोल-फ्री नंबर 14454 के द्वारा पैनल अधिवक्ताओं से जोडती है । सेवा प्रदाय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु आकांक्षी ब्लॉकों में समुदाय-आधारित सक्रिय विधिक सुविधा प्रदाताओं के रूप में न्याय सहायकों की नियुक्ति की गई है ।

न्याय बंधु (प्रो बोनो विधिक सेवाएं) कार्यक्रम के अधीन अधिवक्ता स्वेच्छा से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन आने वाले समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को विधिक सहायता प्रदान करते हैं । संस्थागत समन्वय को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश के 23 उच्च न्यायालयों में प्रो बोनो अधिवक्ताओं के पैनल गठित किए गए हैं । विधि छात्रों में समुदाय आधारित प्रो बोनो सेवा की संस्कृति विकसित करने के क्रम में देशभर के विधि विद्यालयों/महाविद्यालयों में प्रो बोनो क्लब कार्यरत हैं ।

विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम (एलएलएलएपी) के अधीन विभिन्न संस्थानों तथा पणधारी मंत्रालयों/विभागों के साथ सहभागिता स्थापित कर जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की क्षमता-वृद्धि, उन्हें विधिक रूप से सशक्त बनाना और कार्यशालाओं, वेबिनारों, सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री, प्रसार भारती तथा अन्य माध्यमों के सहयोग से विधिक जागरूकता का प्रसार करना अभिप्रेत है।

विधि (सौहार्दपूर्ण विधिक पहल के एकीकृत परिदान के लिए विजन) संजीवनी को दिशा 2.0 के अधीन स्कीम की मानीटरी व्यवस्था को केंद्रीयकृत एकीकृत डैशबोर्ड के विकास और संचालन के माध्यम से सुदृढ़ बनाने के लिए एक प्रमुख घटक के रूप में परिकल्पित किया गया है। इस डैशबोर्ड का उद्देश्य कार्यक्रम के निष्पादन, सेवा प्रदाय और कार्यान्वयन की प्रगति की प्रभावी मानीटरी को सुकर बनाने के लिए विभिन्न स्रोतों से प्राप्त वास्तविक समय के आंकड़ों को एकीकृत कर एकल इंटरफेस उपलब्ध कराना है । इसमें एआई आधारित सहायता

तंत्र के माध्यम से प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवाओं और उपयोगकर्ता सहभागिता को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए न्याय सेतु एआई चैटबॉट के साथ एकीकरण की परिकल्पना है । विधि-संजीवनी के माध्यम से वर्ष 2026-31 की पांच वर्षीय अवधि में 50 लाख लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है ।

(ग) : जनरेटिव एआई आधारित बहुभाषी और बहु-मॉडल न्याय सेतु चैटबॉट मंच का शुभारंभ 29 मार्च, 2026 को किया गया था । यह जनता को वॉयस-फस्ट इंटरफेस के माध्यम से 22 भारतीय भाषाओं में उनकी विधिक प्रक्रियाओं, अधिकारों तथा आगे की आवश्यक कार्यवाही के संबंध में जानकारी प्रदान करता है । यह हाइब्रिड रिट्रीवल-ऑगमेंटेड जनरेशन (आरएजी) ऑर्किटेक्चर का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करता है, कि उत्तर कानूनी विधिक पुस्तकों पर आधारित हो, इस प्रकार एआई मतिभ्रम की संभावना न्यूनतम करता है ।

(घ) : स्कीम के परिणामों की मानीटरी विधि-संजीवनी, नियमित समीक्षा बैठकों, क्षेत्रीय निरीक्षणों, क्षेत्रीय कार्यशालाओं के माध्यम से प्राप्त प्रत्यक्ष फीडबैक और एक समर्पित कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) से पृथक केंद्रीयकृत एकीकृत डैशबोर्ड के माध्यम से की जाएगी ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *56
जिसका उत्तर गुरुवार, 23 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय

***56 श्री उज्जवल देवराव निकम :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में कार्यशील फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या और उनमें संस्वीकृत और मौजूदा न्यायाधीशों की संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार इन न्यायालयों में पॉक्सो (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत मामलों और बलात्कार के मामलों सहित लंबित मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी-कितनी है ;

(ग) फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के गठन के बाद से उनके द्वारा हासिल की गई दोषसिद्धि की राज्य-वार दर कितनी रही है ; और

(घ) क्या सरकार एफटीएससी की संख्या बढ़ाने और उनमें अवसंरचना तथा कार्यबल की कमी को दूर करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी समय-सीमा और ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

'फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय' के संबंध में राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *56, जिसका उत्तर तारीख 23 जुलाई, 2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

(क) और (ख) : विशेष पॉक्सो (इ पॉक्सो) न्यायालयों सहित फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक केंद्र प्रायोजित स्कीम अक्तूबर, 2019 में आरंभ की गई थी । ये न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के अधीन बलात्कार और अपराधों से संबंधित लंबित मामलों की समयबद्ध सुनवाई और निपटान के लिए समर्पित हैं । 790 न्यायालयों की स्थापना के लिए इस स्कीम को दो बार बढ़ाया गया है, अंतिम विस्तार 31 मार्च 2026 तक किया गया है । इस स्कीम को अस्थायी रूप से 30 सितंबर, 2026 तक बढ़ा दिया गया है । उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 30.04.2026 तक, 29 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 398 विशेष पॉक्सो (इ-पॉक्सो) न्यायालयों सहित 775 एफटीएससी कार्य कर रहे थे । **एक न्यायिक अधिकारी** साथ ही 7 सहायक कर्मचारी के वेतन को कवर करने के लिए निधियां केन्द्र प्रायोजित स्कीम (केन्द्रीय हिस्सेदारी : राज्य का हिस्सा : 60:40, 90:10) के पैटर्न पर जारी की जाती हैं और प्रति न्यायालय दिन-प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करने के लिए एक फ्लेक्सी अनुदान भी दिया जाता है । इसलिए, तारीख 30.4.2026 तक 775 न्यायालयों के लिए स्वीकृत न्यायिक संख्या **एक न्यायिक अधिकारी** प्रति कार्यशील न्यायालय है और विद्यमान न्यायिक संख्या 775 है । विशेष पॉक्सो न्यायालयों और उनमें लंबित मामलों सहित कार्यशील फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **उपाबंध-1** पर है ।

(ग) : पिछले तीन कैलेंडर वर्षों के दौरान एफटीएससी की राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र-वार दोषसिद्धि दर **उपाबंध-2** पर है ।

(घ) : विद्यमान एफटीएससी स्कीम के अनुसार, 790 न्यायालय स्थापित किए जाने हैं, जिनमें से 775 न्यायालय 30.04.2026 तक कार्य कर रहे हैं । लंबित मामलों की संख्या को ध्यान में रखते हुए और अधिक न्यायालयों की स्थापना का निर्णय प्रतिभागी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने-अपने उच्च न्यायालयों के परामर्श से लिया जाना है । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है । तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए संघ सरकार वर्ष 1993-94 से केन्द्र और राज्यों के बीच निर्धारित निधि हिस्सेदारी में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करके जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रही है । वर्तमान में, इस स्कीम के पांच घटक हैं जिनके लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है अर्थात (i) न्यायालय हॉल (ii) आवासीय इकाइयां (iii) वकीलों के हॉल

(iv) शौचालय परिसर और (v) डिजिटल कंप्यूटर कक्ष । 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित स्कीम के अधीन राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता के रूप में 4,519.47 करोड़ रुपये की रकम प्रदान की गई है ।

****

उपाबंध-1

'फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय' के संबंध में राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *56, जिसका उत्तर तारीख 23 जुलाई, 2026 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

30.04.2026 तक एफटीएससी में बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के लंबित मामलों के साथ-साथ ई-पॉक्सो न्यायालयों सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कार्यात्मक एफटीएससी

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कार्यशील न्यायालय		मास के अंत में लंबित मामलों की संख्या				संचयी लंबन
		ई-पॉक्सो सहित एफटीएससी	ई-पॉक्सो	संयुक्त एफटीएससी			ई-पॉक्सो	
				बलात्कार	पॉक्सो	कुल		
1	आंध्र प्रदेश	16	16	0	0	0	5487	5487
2	असम	17	17	0	0	0	6783	6783
3	बिहार	54	48	1912	2700	4612	19318	23930
4	चंडीगढ़	1	0	61	128	189	0	189
5	छत्तीसगढ़	15	11	14	89	103	1009	1112
6	दिल्ली	16	11	896	0	896	2334	3230
7	गोवा	1	0	89	66	155	0	155
8	गुजरात	35	24	775	677	1452	3405	4857
9	हरियाणा	18	14	301	890	1191	3497	4688
10	हिमाचल प्रदेश	6	3	48	194	242	297	539
11	जम्मू-कश्मीर	4	2	158	0	158	324	482
12	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0
13	कर्नाटक	30	16	165	1904	2069	3247	5316
14	केरल	55	14	1068	3764	4832	1576	6408
15	मध्य प्रदेश	67	56	2411	409	2820	7828	10648
16	महाराष्ट्र	38	0	7939	30535	38474	0	38474
17	मणिपुर	2	0	0	30	30	0	30
18	मेघालय	5	5	0	0	0	1167	1167
19	मिजोरम	3	1	4	39	43	40	83
20	नागालैंड	1	0	4	47	51	0	51
21	ओडिशा	44	23	927	1894	2821	6028	8849
22	पुडुचेरी	1	1	0	0	0	242	242
23	पंजाब	12	3	279	653	932	439	1371
24	राजस्थान	45	30	50	783	833	2647	3480
25	तमिलनाडु	20	20	0	0	0	8832	8832
26	तेलंगाना	36	0	324	8584	8908	0	8908
27	त्रिपुरा	3	1	103	34	137	98	235
28	उत्तराखंड	4	0	383	827	1210	0	1210
29	उत्तर प्रदेश	218	74	4634	30576	35210	61339	96549
30	पश्चिमी बंगाल	8	8	0	0	0	5904	5904
	कुल	**775**	**398**	**22545**	**84823**	**107368**	**141841**	**249209**

* झारखंड राज्य ने तारीख 07.07.2025 के पत्र के माध्यम से एफटीएससी स्कीम से बाहर निकलने का निर्णय किया है ।

उपाबंध-2

'फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय' के संबंध में राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *56, जिसका उत्तर तारीख 23 जुलाई, 2026 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दोषसिद्धि दर

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	औसत दोषसिद्धि दर (%)		
		वर्ष 2023	वर्ष 2024	वर्ष 2025
1	आंध्र प्रदेश	3.97	5.19	5.55
2	असम	16.70	35.00	21.00
3	बिहार	17.29	14.51	9.65
4	चंडीगढ़	67	16.92	18.50
5	छत्तीसगढ़	16.88	23.69	14.01
6	दिल्ली	24.94	8.59	10.92
7	गोवा	39	9.69	18.75
8	गुजरात	7.42	9.53	9.34
9	हरियाणा	15.52	40.50	17.00
10	हिमाचल प्रदेश	25.04	8.24	15.50
11	जम्मू-कश्मीर	6	4.50	4.44
12	झारखंड*	21.2	14.78	20.80
13	कर्नाटक	12.54	8.10	7.04
14	केरल	9.9	13.00	14.51
15	मध्य प्रदेश	27.45	14.50	23.32
16	महाराष्ट्र	10.55	6.07	22.22
17	मणिपुर	21.86	7.00	64.70
18	मेघालय	58.49	45.00	52.78
19	मिजोरम	14.14	33.50	58.50
20	नागालैंड	24	25.00	80.00
21	ओडिशा	13.32	10.63	8.43
22	पुडुचेरी	17	17.94	19.00
23	पंजाब	12.46	47.19	23.00
24	राजस्थान	22.6	18.29	16.58
25	तमिलनाडु	28.5	25.82	31.35
26	तेलंगाना	7.12	7.00	20.21
27	त्रिपुरा	6.87	5.30	21.00
28	उत्तराखंड	22.42	22.50	20.20
29	उत्तर प्रदेश	26.49	25.11	25.22
30	पश्चिमी बंगाल	1	2.00	11.00

* झारखंड राज्य ने तारीख 07.07.2025 के पत्र के माध्यम से एफटीएससी स्कीम से बाहर निकलने का निर्णय किया है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 587
जिसका उत्तर गुरुवार, 23 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

कानूनी सुधार

587 श्री राजीव शुक्ला :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय देश के आम नागरिकों के लिए न्याय तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किन्हीं नए कानूनी सुधार उपायों पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) विभिन्न न्यायालयों में श्रेणी-वार कितने मामले लंबित हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : केंद्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन यथा अधिदेशित मामलों के त्वरित निपटान और लंबितता को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है और न्यायपालिका द्वारा मामलों के तेजी से निपटान के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए कई पहल की हैं :

i. न्याय को अधिक सुलभ बनाने के लिए 7,210 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ई-न्यायालय परियोजना (2023-2027) के तीसरे चरण को 13.09.2023 को मंजूरी दी गई थी । वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4,14,89,062 से अधिक न्यायालय सुनवाई की गई हैं और कई उच्च न्यायालयों में लाइव स्ट्रीमिंग कार्यशील है । उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में मुफ्त ई-न्यायालय सेवाएं प्रदान करने वाले ई-सेवा केंद्रों (सुविधा केंद्रों) की संख्या बढ़कर 2,515 हो गई है ।

ii. केंद्र प्रायोजित स्कीम, अर्थात् त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) स्कीम के अधीन, बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए, 29 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 30.04.2026 तक 398 विशेष पॉक्सो (ई पॉक्सो) न्यायालयों सहित 775 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) कार्यरत हैं । 30.04.2026 तक, त्वरित निपटान विशेष न्यायालय ने सामूहिक रूप से 3,87,481 मामलों का निपटारा किया है ।

iii. पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में बकाया समितियां गठित की गई हैं ।

iv. सरकार ने लंबितता को कम करने के लिए परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018 भी अधिनियमित किया है । इसके अलावा, नई दंड विधियां 2023 अधिनियमित की गई हैं ।

v. वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धतियों को भी सरकार द्वारा बढ़ावा दिया गया है । वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में अगस्त, 2018 में संशोधन किया गया था, जिससे वाणिज्यिक विवादों के मामले में पूर्व-संस्थागत मध्यस्थता और निपटान (पीआईएमएस) अनिवार्य हो गया था । विवादों के त्वरित समाधान के लिए समय सीमा निर्धारित करके माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन, माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम 2015 द्वारा किया गया है ।

vi. लोक अदालत आम लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है, जहां न्यायालय में या मुकदमे से पहले के स्तर पर लंबित विवादों/मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया/समझौता किया जाता है ।

vii. न्याय विभाग एक केंद्रीय सेक्टर स्कीम, अर्थात्, समग्र न्याय तक पहुंच के लिए अभिनव समाधान डिजाइन करना (दिशा) 2.0 को पांच वर्षों की अवधि (2026-2031) के लिए कुल 255 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ लागू कर रहा है ताकि टेली-लॉ (टेलीफोन के माध्यम से मुकदमे से पहले विधिक सलाह), न्याय बंधु (प्रो-बोनो अधिवक्ता), विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता और विधि (समन्वित विधिक पहलों के एकीकृत परिदान के लिए दृष्टिकोण) - संजीवनी कार्यक्रमों के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर न्याय तक पहुंच पर एक व्यापक, एकीकृत समाधान प्रदान किया जा सके । 30 जून, 2026 तक, देशभर में 1.13 करोड़ से अधिक मुकदमे से पहले विधिक सलाह प्रदान की गई है । 30 जून, 2026 तक, कुल 10,835 अधिवक्ताओं ने न्याय बंधु प्लेटफॉर्म पर स्वेच्छा से पंजीकरण कराया है । न्याय सेतु एआई चैटबॉट, भाषा को न्याय-संबंधी सेवाओं के लिए बाधा नहीं बनने देते हुए, भाषिणी-सक्षम कार्यक्षमताओं के माध्यम से स्वचालित प्रश्न प्रबंधन, संरचित डेटा कैप्चर और बहुभाषी बातचीत समर्थन की सुविधा प्रदान करता है ।

(ग) : राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 16.07.2026 तक, विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या, प्रवर्ग-वार निम्नानुसार है :

क्रम सं.	**न्यायालय का नाम**	**सिविल मामले**	**दांडिक मामले**	**कुल लंबन**
1.	उच्चतम न्यायालय	74339	21685	96024
2.	उच्च न्यायालय	4513738	1958798	6472536
3.	जिला और अधीनस्थ न्यायालय	11333509	38512029	49845538

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 588
जिसका उत्तर गुरुवार, 23 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी)

588 # श्री बाबू राम निषाद :
श्री मदन राठौड़ :
श्री बृज लाल :
श्री अमर पाल मौर्य :
श्री लहर सिंह सिरोया :
श्री राजेश परमानंद शुक्ला :
श्री जग्गेश :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी), जिनमें विशेष पॉक्सो न्यायालय शामिल हैं, की राज्य-वार संख्या कितनी है ;
(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन न्यायालयों के समक्ष दायर, निपटाए गए और लंबित मामलों की संख्या क्या है ;
(ग) उक्त अवधि के दौरान जारी और उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और
(घ) निपटान दरों में सुधार करने और एफटीएससी में रिक्तियों तथा अवसंरचना अंतराल को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : बलात्संग और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन लंबित मामलों के त्वरित निपटान के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के अधीन त्वरित विशेष न्यायालयों (एफटीएससी), जिनमें विशेष बाल यौन उत्पीड़न निवारण (ई-पीओसीएसओ) न्यायालय भी सम्मिलित हैं, की स्थापना अक्टूबर 2019 में शुरू की गई थी। इस योजना का

दो बार विस्तार किया गया है, 790 एफटीएससी की स्थापना के लिए अंतिम विस्तार 31.03.2026 तक विधिमान्य था। योजना का अस्थायी रूप से 30 सितंबर, 2026 तक विस्तार कर दिया गया है। उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 30.04.2026 तक 29 राज्यों/संघ राज्यक्षत्रों में 775 एफटीएससी, जिनमें 398 विशेष बाल यौन उत्पीड़न निवारण (ई-पीओसीएसओ) न्यायालय सम्मिलित हैं, कार्यरत थे। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **उपाबंध-1** में दिया गया है।

(ख) : पिछले तीन वर्षों के दौरान त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) जिनमें विशेष रूप से पीओसीएसओ न्यायालय सम्मिलित हैं, के समक्ष पंजीकृत, निपटान किए गए और लंबित मामलों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	**पंजीकृत मामले**	**निपटान किए गए मामले**	**लंबित मामले***
2023	81,471	76,319	2,02,175
2024	88,902	85,595	2,04,122
2025	1,43,936	66,500	2,45.579

संबंधित वर्षों के 31 दिसंबर तक लंबित है।

(ग) : एफटीएससी योजना के अधीन निधि केंद्र प्रायोजित योजना (केंद्रीय हिस्सा: राज्य हिस्सा :: 60:40, 90:10) के पैटर्न पर जारी की जाती है, जिसमें प्रत्येक एफटीएससी के लिए एक न्यायिक अधिकारी और 7 सहायक कर्मचारियों के वेतन और दैनिक व्यय के लिए फ्लेक्सी अनुदान सम्मिलित है। व्यय विवरण प्राप्त होने के उपरांत राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है। न्यायालयों के सुचारु रूप से संचालन को सुनिश्चित करने हेतु विभाग ने इस योजना की स्थापना से लेकर अब तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को ₹1259.51 करोड़ की राशि जारी की है। वित्तीय वर्ष 2026-27 सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई धनराशि में केंद्र के हिस्से का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **उपाबंध-2** में दिए गए है ।

(घ) : एफटीएससी (वित्तीय सुरक्षा समितियां) के संचालन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और उच्च न्यायालयों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। माननीय विधि और न्याय मंत्री ने माननीय मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को पीओसीएसओ अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अधीन समयबद्ध कार्रवाई और निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर पत्र प्रेषित किया है। इसके अतिरिक्त, अंतर-सरकारी समन्वय को बेहतर बनाने और न्याय वितरण प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु, अंतर-राज्यीय क्षेत्रीय परिषद की बैठकों में एफटीएससी के प्रदर्शन पर नियमित रूप से विचार-विमर्श किया जाता है।

न्यायालयों में न्यायाधीशों और कर्मचारियों की नियुक्ति, साथ ही जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों (त्वरित निपटान विशेष न्यायालय सहित) में न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों को भरना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और संबंधित उच्च न्यायालयों का दायित्व है। संवैधानिक उपबंधों के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के साथ अनुच्छेद 233 और 234 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से न्यायिक अधिकारियों की भर्ती और नियुक्ति संबंधी नियम बनाती हैं।

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों की है । तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के संसाधनों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, केंद्रीय सरकार 1993-94 से ही जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु एक केंद्रीय प्रायोजित योजना का संचालन कर रही है, जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच निर्धारित निधि बंटवारे के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान में इस योजना के पाँच घटक हैं जिनके लिए राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को केंद्र से सहायता प्रदान की जाती है, अर्थात्:- (i) न्यायालय हॉल (ii) आवासीय इकाइयां (iii) वकीलों के हॉल (iv) शौचालय परिसर और (v) डिजिटल कंप्यूटर कक्ष। पंद्रहवें वित्त आयोग चक्र के दौरान न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु केंद्र प्रायोजित योजना के अधीन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को ₹4,519.47 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

****

उपाबंध -1

30.04.2026 तक ई-पॉक्सो अदालतों सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कार्यात्मक एफटीएससी

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यात्मक न्यायालय -775	
		विशेष पॉक्सों अदालतों सहित एफटीएससी	विशेष पॉक्सो अदालतें
1.	आंध्र प्रदेश	16	16
2.	असम	17	17
3.	बिहार	54	48
4.	चंडीगढ़	1	0
5.	छत्तीसगढ	15	11
6.	दिल्ली	16	11
7.	गोवा	1	0
8.	गुजरात	35	24
9.	हरियाणा	18	14
10.	हिमाचल प्रदेश	6	3
11.	जम्मू और कश्मीर	4	2
12.	झारखंड*	0	0
13.	कर्नाटक	30	16
14.	केरल	55	14
15.	मध्य प्रदेश	67	56
16.	महाराष्ट्र	38	0
17.	मणिपुर	2	0
18.	मेघालय	5	5
19.	मिजोरम	3	1
20.	नगालैंड	1	0
21.	ओडिशा	44	23
22.	पुदुचेरी	1	1
23.	पंजाब	12	3
24.	राजस्थान	45	30
25.	तमिलनाडु	20	20
26.	तेलंगाना	36	0
27.	त्रिपुरा	3	1
28.	उत्तराखंड	4	0
29.	उत्तर प्रदेश	218	74
30.	पश्चिमी बंगाल	8	8
	कुल	**775**	**398**

* झारखंड राज्य ने 07.07.2025 के पत्र के अनुसार एफटीएससी योजना से बाहर निकलने का फैसला किया है।

उपाबंध 2

पिछले तीन वर्षों के दौरान त्वरित निपटान विशेष न्यायालय स्कीम के अधीन जारी की गई निधि में केन्द्रीय हिस्से की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरे

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2023-24 में जारी की गई राशि	2024-25 में जारी राशि	2025-26 में जारी राशि
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0
2.	असम	5.528655	10.975085	10.2883947
3.	बिहार	9.874035	11.35878	22.1617199
4.	चंडीगढ़	0	0	0
5.	छत्तीसगढ	3.25215	3.70395	4.2178092
6.	दिल्ली	3.46896	1.97544	12.83992
7.	गोवा	0.21681	0.49386	0.3473393
8.	गुजरात	7.58835	8.64255	2.1386089
9.	हरियाणा	3.46896	7.90176	7.00002
10.	हिमाचल प्रदेश	1.95129	2.22237	5.2283322
11.	जम्मू और कश्मीर	2.32086	1.48158	1.739494
12.	झारखंड*	4.76982	0	0
13.	कर्नाटक	7.45091	7.65483	8.0348025
14.	केरल	25.39836	13.58115	26.2767511
15.	मध्य प्रदेश	15.37627	16.54431	21.3280045
16.	महाराष्ट्र	6.59259	1.23465	2.0772397
17.	मणिपुर	0.65043	0.74079	0.1367199
18.	मेघालय	1.626075	1.851975	0.396
19.	मिजोरम	0.975645	1.111185	2.0752012
20.	नगालैंड	0.325215	0.370395	0.099556
21.	ओडिशा	9.52128	10.86492	22.7717099
22.	पुदुचेरी	0.195975	0.24693	0.6008314
23.	पंजाब	3.95972	5.92632	4.66668
24.	राजस्थान	21.1383	22.2237	19.4445
25.	तमिलनाडु	6.496035	6.91404	7.3159963
26.	तेलंगाना	7.60671	4.44474	1.8395415
27.	त्रिपुरा	0.975645	1.111185	0.0356784
28.	उत्तराखंड	1.30086	1.48158	2.3551831
29.	उत्तर प्रदेश	47.26458	53.83074	13.2926408
30.	पश्चिमी बंगाल	0.70551	1.111185	1.2913255
	कुल	**200.00**	**200.00**	**200.00**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 589
जिसका उत्तर गुरुवार, 23 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

अल्पसंख्यक समुदायों के न्यायधीश

589 श्रीमती राजाथी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अल्पसंख्यक समुदायों, जिनमें ईसाई और मुस्लिम शामिल हैं, से आने वाले वर्तमान न्यायधीशों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) पिछले 4 दशकों के दौरान अल्पसंख्यक न्यायधीशों का दशक-वार प्रतिशत कितना है ; और

(ग) विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लैंगिक और धार्मिक भिन्नता सहित विविधता को बेहतर बनाने के क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 224 के अधीन की जाती है, जिसमें किसी भी जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। अतः, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बीच किसी भी जाति या वर्ग के व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित श्रेणी-वार आँकड़े केंद्रीय रूप से उपलब्ध नहीं है।

जैसे कि प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव शुरू करने की जिम्मेदारी भारत के मुख्य न्यायाधीश की होती है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव शुरू करने की जिम्मेदारी संबंधित

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की होती है। हालांकि, सरकार न्यायपालिका में सामाजिक विविधता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध करती रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के उपयुक्त उम्मीदवारों पर यथोचित विचार किया जाए ताकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित हो सके । केवल वे व्यक्ति जिन्हें उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित किया जाता है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाते हैं।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 590
जिसका उत्तर गुरुवार, 23 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

उच्चतम न्यायालय की सर्किट पीठ/पीठ

590 श्री अनिल कुमार यादव मंदादी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर उच्चतम न्यायालय की सर्किट पीठ/ पीठ स्थापित करने के संबंध में कोई निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : भारत के संविधान का अनुच्छेद 130 यह उपबंध करता है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में बैठेगा जिन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से समय-समय पर नियुक्त कर सकते हैं ।

ग्यारहवीं विधि आयोग ने 1988 में प्रस्तुत किए गए अपनी 125वीं रिपोर्ट "उच्चतम न्यायालय - एक नई नज़र" में, दसवीं विधि आयोग द्वारा अपनी 95वीं रिपोर्ट में किए गए सुझावों को दोहराया, जिसमें उच्चतम न्यायालय को दो हिस्सों में विभाजित करने का प्रस्ताव था अर्थात् (i) दिल्ली में सांवैधानिक न्यायालय और (ii) उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य भारत में स्थित अपील न्यायालय अथवा संघीय न्यायालय । अठारहवीं विधि आयोग ने अपनी 229वीं रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया था कि दिल्ली में एक सांवैधानिक न्यायपीठ और उत्तरी क्षेत्र में दिल्ली, दक्षिणी क्षेत्र में चेन्नई/हैदराबाद, पूर्वी क्षेत्र में कोलकाता और पश्चिमी क्षेत्र में मुंबई में चार अपीलीय न्यायपीठ स्थापित की जाएं ।

मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश को भेजा गया, जिन्होंने सूचित किया कि मामले पर विचार करने के बाद, 18 फरवरी, 2010 को हुई पूर्ण न्यायपीठ की बैठक में, दिल्ली के बाहर उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं पाया गया।

रिट याचिका (सिविल) सं. 36/2016 में राष्ट्रीय अपील न्यायालय के स्थापना पर, उच्चतम न्यायालय ने तारीख 13.07.2016 के अपने आदेश द्वारा उपरोक्त मुद्दे को सांवैधानिक न्यायपीठ के समक्ष प्राधिकृत निर्णय के लिए निर्दिष्ट करना उचित समझा। मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 591
जिसका उत्तर गुरुवार, 23 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

ज़िला न्यायपालिका की अवसंरचना

591 श्री शुभाशीष खुंटिया :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओडिशा में न्यायिक अधिकारियों की संस्वीकृत और कार्यशील संख्या कितनी है ;

(ख) जिला न्यायपालिका में रिक्तियों की संख्या कितनी है ;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान न्यायिक अवसंरचना के लिए प्रदान की गई केंद्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या अतिरिक्त सहायता प्रस्तावित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : न्याय विकास पोर्टल 2.0, पर उपलब्ध आंकड़ो के अनुसार, ओडिशा में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत संख्या निम्नलिखित है:-

स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या	रिक्तियां
1183	854	329

जिला न्यायालयों में रिक्तियों की संख्या **उपाबंध** पर है ।

(ग) और (घ) : पिछले पांच वर्षों के दौरान, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अवसंरचना के विकास की सुविधाओं के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन ओड़िशा राज्य को 146.42 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई । चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान, उपरोक्त स्कीम के लिए, ओड़िशा राज्य के लिए 25.37 करोड़ रुपए संभावित आवंटन किए गए । राज्य के लिए 12.685 करोड़ रुपए की मंजूरी पहले ही जारी की जा चुकी है, जिसमें से राज्य ने 16.07.2026 तक 0.06 करोड़ रुपए का उपयोग कर लिया है ।

****

उपाबंध

'जिला न्यायपालिका अवसंरचना' के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 591 जिसका उत्तर तारीख 23.07.2026 को दिया जाना के के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

क्रम संख्या	राज्य /संघ राज्यक्षेत्र	कुल		
		कुल स्वीकृत पद संख्या	कुल कार्यरत पद संख्या	कुल रिक्तियां
1	अंदमान और निकोबार	0	12	-12
2	आंध्र प्रदेश	739	565	174
3	अरुणाचल प्रदेश	53	39	14
4	असम	486	445	41
5	बिहार	2032	1658	374
6	चंडीगढ़	30	30	0
7	छत्तीसगढ़	677	500	177
8	दादरा और नागर हवेली	3	2	1
9	दमण और दीव	4	4	0
10	दिल्ली	950	832	118
11	गोवा	60	57	3
12	गुजरात	1720	1185	535
13	हरियाणा	787	648	139
14	हिमाचल प्रदेश	192	172	20
15	जम्मू - कश्मीर	322	267	55
16	झारखंड	710	498	212
17	कर्नाटक	2812	1172	1640
18	केरल	614	574	40
19	लद्दाख	17	8	9
20	लक्षद्वीप	5	2	3
21	मध्य प्रदेश	2051	1683	368
22	महाराष्ट्र	5247	4350	897
23	मणिपुर	72	47	25
24	मेघालय	99	57	42
25	मिजोरम	74	45	29
26	नागालैंड	34	24	10
27	ओडिशा	1183	854	329
28	पुडुचेरी	38	26	12
29	पंजाब	834	696	138
30	राजस्थान	1712	1517	195
31	सिक्किम	36	31	5
32	तमिलनाडु	1400	1204	196
33	तेलंगाना	619	474	145
34	त्रिपुरा	133	119	14
35	उत्तर प्रदेश	3700	2618	1082
36	उत्तराखंड	318	280	38
37	पश्चिमी बंगाल	1105	863	242
कुल		**30,868**	**23,558**	**7,310**

स्रोत: न्याय विकास पोर्टल 2.0

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 592
जिसका उत्तर गुरुवार, 23 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

जम्मू और कश्मीर में निःशुल्क क़ानूनी सहायता की प्रभावशीलता

592 श्री सत पाल शर्मा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर में 'दिशा' योजना के तहत मिलने वाली मुफ्त कानूनी सहायता सेवाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए हाल ही में कोई अध्ययन या परामर्श आयोजित किया है, ताकि आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए अदालती मामलों के लंबित रहने की अवधि को कम किया जा सके और

(ख) यदि हाँ, तो इन सेवाओं को सुदृढ़ करने और मामलों के निपटान में होने वाली देरी को कम करने के लिए पहचान किए गए प्रमुख सुधारों या कार्यनीतियों का विस्तृत पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : विधि और न्याय मंत्रालय ने मैसर्स क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के माध्यम से तत्कालीन दिशा स्कीम (2021-26) का एक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष मूल्यांकन-सह-प्रभाव निर्धारण अध्ययन किया है, जो इस स्कीम की सुसंगतता पर विशेष बल देता है । जम्मू और कश्मीर सहित अखिल भारतीय कार्यान्वयन के लिए दिशा स्कीम को पांच वर्ष (2026-31) की अवधि के लिए दिशा 2.0 के रूप में बढ़ा दिया गया है।

दिशा 2.0 स्कीम अपने घटकों अर्थात टेली-लॉ (रीचिंग द अनरीच्ड), न्याय बंधु (निःशुल्क विधिक सेवा) कार्यक्रम, विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम, और विधि

(सामंजस्यपूर्ण विधिक पहलों के एकीकृत परिदान के लिए विजन) - संजीवनी के माध्यम से आसान, सुलभ, किफायती, प्रौद्योगिकी सक्षम और जन-केंद्रित विधिक सेवाएं प्रदान करती है।

टेली-लॉ लोगों को मोबाइल-ऐप और टोल फ्री नंबर 14454 के माध्यम से पैनल वकीलों से जोड़ता है, ताकि पूर्व-मुकदमेबाजी विधिक सलाह दी जा सके और पंचायत स्तर पर सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी)/ग्राम स्तर के उद्यमियों (वीएलई) में उपलब्ध वीडियो/टेली कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के उपयोग के माध्यम से किया जा सके। न्याय सहायक, जो सक्रिय समुदाय आधारित विधिक सुविधाकर्ता हैं, सेवा परिदान को मजबूत करने के लिए आकांक्षी ब्लॉकों में लगे हुए हैं।

30.06.2026 तक, संघ राज्यक्षेत्र जम्मू और कश्मीर में सीएससी के माध्यम से 5 पैनल वकीलों द्वारा 7,63,148 पूर्व-मुकदमेबाजी विधिक सलाह प्रदान की गई है। 10 आकांक्षी ब्लॉकों में काम करने वाले 8 न्याय सहायकों ने 1,222 कॉल पंजीकृत की हैं।

न्याय बंधु (निःशुल्क विधिक सेवा) कार्यक्रम न्याय बंधु पोर्टल और मोबाइल अनुप्रयोग के माध्यम से विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन पात्र फायदाग्राहियों को निःशुल्क विधिक सहायता की सुविधा प्रदान करके अधिवक्ताओं और विधि के छात्रों के बीच नि:शुल्क संस्कृति को बढ़ावा देता है, जो पंजीकृत फायदाग्राहियों और निःशुल्क अधिवक्ताओं के बीच निर्बाध संबंध को सक्षम बनाता है । 30.06.2026 तक, जम्मू और कश्मीर विधिज्ञ परिषद के अधीन 197 अधिवक्ता पंजीकृत हैं।

विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम (एलएलएलएपी) में जमीनी स्तर के कर्मकारों की क्षमता का निर्माण करने, उन्हें विधिक रूप से सशक्त बनाने और कार्यशालाओं, वेबिनारों, आईईसी सामग्री, प्रसार भारती और अन्य के सहयोग के माध्यम से विधिक जागरूकता के प्रसार के लिए संस्थाओं के साथ जुड़ने और पणधारियों मंत्रालयों/विभागों में भागीदारी बनाने की परिकल्पना की गई है।

विधि (सामंजस्यपूर्ण विधिक पहलों के एकीकृत परिदान के लिए विजन) - संजीवनी दिशा 2.0 के अधीन एक प्रमुख घटक के रूप में परिकल्पित की गई है ताकि एक केंद्रीकृत एकीकृत डैशबोर्ड के विकास और संचालन के माध्यम से स्कीम के मानीटरी तंत्र को बढ़ाया जा सके। डैशबोर्ड का उद्देश्य कार्यक्रम के प्रदर्शन, सेवा परिदान और कार्यान्वयन प्रगति की मानीटरी की सुविधा के लिए कई स्रोतों से वास्तविक समय डाटा स्ट्रीम को एकीकृत करने वाला एक एकीकृत अंतरापृष्ठ प्रदान करना है। इसमें प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवा समर्थन की सुविधा और एआई-संचालित सहायता तंत्र के माध्यम से उपयोगिता संपर्क में सुधार के लिए न्याय सेतु एआई चैटबॉट के साथ एकीकरण की परिकल्पना की गई है। विधि संजीवनी में पांच वर्ष की अवधि अर्थात 2026-31 में 50 लाख फायदाग्राहियों तक पहुंच बनाने की परिकल्पना की गई है ।

*****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 593
जिसका उत्तर गुरुवार, 23 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

ई-सेवा केंद्र

593 श्री रायगा कृष्णैया :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में ई-सेवा केंद्रों की वर्तमान संख्या, अवस्थान और हाल ही में हुआ विस्तार कितना है ;

(ख) नए स्थानों का चयन करने और विशेषकर अल्पसेवित क्षेत्रों में ई-सेवा केंद्रों के लिए धन आवंटित करने की प्रक्रिया क्या है ;

(ग) क्या हाशिए पर रहने वाले समूहों और दिव्यांगजनों के लिए पहुँच बेहतर बनाने के कदम उठाए जा रहे हैं ;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) कर्मियों की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी या जागरूकता से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं और आगे सुधार के लिए क्या योजनाएँ हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ख) : ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अधीन, 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार सभी 25 उच्च न्यायालयों में 2584 ई-सेवा केंद्र कार्यात्मक हैं । उच्च न्यायालय वार ब्यौरा **उपाबंध-1** पर संलग्न है ।

ई-सेवा केंद्र, उच्च न्यायालयों द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के साथ परामर्श के पश्चात् स्थापित किए गए हैं । संबंधित उच्च न्यायालयों को निधियां उनकी

अपेक्षाओं के आधार पर जारी की जाती हैं । ई-सेवा केंद्रों की संख्या और अवस्थिति का अवधारण डिजिटल न्यायिक सेवाओं की व्यापक सुगमता को सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय परिसरों के आकार, अपेक्षाओं तथा भौगोलिक विस्तार के आधार पर होता है । आज तक ई-सेवा केंद्रों की स्थापना के लिए 300.22 करोड. की रकम निधि के रुप में जारी की जा चुकी है ।

(ग) से (घ) : ई-सेवा केंद्र नागरिक-केंद्रित सुविधा केंद्रों के रुप में परिकल्पित किए गए हैं ताकि डिजिटल विभाजन को कम करने के द्वारा सुगमता तथा समावेशन को सुनिश्चित किया जा सके । वे मुविक्कल तथा अधिवक्ताओं को सहायता प्रदान करवाते हैं जिन्हें पर्याप्त डिजिटल संसाधनों या डिजिटल साक्षरता की कमी हो सकती है, ई-फाइलिंग, ऑन-लाइन संदाय, आभासी न्यायालय, वीडियों कॉफ्रैंसिंग सेवा, ई-न्यायालय वेबसाइट और पोर्टल की सुगमता को सुकर बनाते हैं और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों के माध्यम से उपलब्ध नि:शुल्क विधिक सेवाओं पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं । चरण - 3 के अधीन, परियोजना निर्योग्य- मैत्री आईसीटी-योग्य सुविधाएं, बहुभाषीय इंटरफेसिस तथा उपयोगकर्ता - केंद्रित सेवा परिदान के माध्यम से डिजिटल न्यायिक सेवाओं की सुगमता तथा समावेशन भी परिकल्पित करती है ।

(ङ) : क्षमता निर्माण, पणधारी जागरुकता, तकनीकी समर्थन तथा समुन्नत डिजिटल सेवाओं के अंगीकार के माध्यम से ई-सेवा केंद्रों की कार्यशैली को सुदृढ़ करने के लिए सतत् प्रयास किए गए हैं । चरण-3 के अधीन, ई-सेवा केंद्र शुरू से अंत तक डिजिटल न्यायालय प्रक्रियाओं के समर्थन तथा देश भर में ई-न्यायालय सेवाओं के व्यापक अंगीकार को सुकर बनाने, विशिष्टतया सीमित डिजिटल सुगमता वाले नागरिकों के लिए, उन्नत नागरिक सेवा केंद्रों के रुप में विकसित किए गए हैं ।

****

उपाबंध -1

'ई-सेवा केंद्र के संबंध में राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 593 जिसका उत्तर तारीख 23.07.2026 को दिया जाना है के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

30.06.2026 की स्थिति के अनुसार ई-सेवा केंद्रों के कार्यान्वयन की प्रास्थिति :

क्र. सं.	उच्च न्यायालय	उच्च न्यायालयों में ई-सेवा केंद्रों का कार्यकरण (क)	जिला न्यायालयों में ई-सेवा केंद्रों का कार्यकरण (ख)	कुल (क+ख)
1	इलाहाबाद	3	124	127
2	आंध्रप्रदेश	4	34	38
3	अरुणाचल प्रदेश	1	30	31
4	असम	2	78	80
5	बॉम्बे	3	351	354
6	कलकत्ता	1	50	51
7	छतीसगढ	1	92	93
8	तेलंगाना	1	98	99
9	मणिपुर	1	22	23
10	मिजोरम	1	8	9
11	उड़ीसा	1	183	184
12	राजस्थान	2	29	31
13	दिल्ली	1	13	14
14	गुजरात	1	195	196
15	हिमाचल प्रदेश	1	39	40
16	जम्मू - कश्मीर और	2	25	27
17	झारखंड	2	62	64
18	कर्नाटक	3	75	78
19	केरल	1	161	162
20	मध्य प्रदेश	3	233	236
21	मद्रास	7	310	317
22	मेघालय	1	16	17
23	नागालैंड	1	11	12
24	पटना	1	104	105
25	पंजाब और हरियाणा	1	127	128
26	सिक्किम	1	10	11
27	त्रिपुरा	1	16	17
28	उत्तराखंड	1	39	40
	कुल	**49**	**2535**	**2584**

स्रोत : ई-समिति, भारत का उच्चतम न्यायालय

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 594
जिसका उत्तर गुरुवार, 23 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी

594 डा. सस्मित पात्रा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों की संख्या कितनी है और ये पद कितने समय से रिक्त हैं ;

(ख) पिछले पांच वर्षों में उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम से न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण या प्रत्यावर्तन के लिए प्राप्त सिफारिशों की संख्या कितनी है और सरकार को ऐसी सिफारिशों पर कार्रवाई के प्रत्येक चरण में औसतन कितना समय लगा ; और

(ग) क्या सरकार ने न्यायाधीशों के निरंतर रिक्त रहने वाले पदों की समस्या का समाधान करने और न्यायिक प्रशासन को मजबूत करने के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत या मौजूदा न्यायधीशों को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायधीश या न्यायधीश नियुक्त करने की संभावना पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और 224 के अधीन और 6 अक्टूबर, 1993 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय (द्वितीय न्यायाधीश मामला) और 28 अक्टूबर, 1998 के उनके सलाहकार मत (तृतीय न्यायाधीश मामला) के अनुसरण में 1998 में तैयार किए गए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है।

उच्च न्यायपालिका में रिक्त पदों को भरना कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों को आरंभ करने का उत्तरदायित्व भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों को आरंभ करने का उत्तरदायित्व संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में निहित होता है, जो उच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से किया जाता है । नियुक्ति प्रक्रिया ज्ञापन (MoP) के अनुसार, उच्च न्यायालयों में रिक्ति उत्पन्न होने से कम से कम 6 माह पूर्व सिफारिश करना अपेक्षित होता है । तथापि, इस समय सीमा का पालन शायद ही कभी किया जाता है। उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के लिए, MoP के अनुसार संबंधित राज्य सरकार के विचार प्राप्त किए जाते हैं। सिफारिशों पर विचार करते समय सरकार के पास विचाराधीन नामों के संबंध में उपलब्ध अन्य रिपोर्टों को भी ध्यान में रखा जाता है। उच्च न्यायालय कॉलेजियम, राज्य सरकारों और भारत सरकार की सिफारिशें उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (SCC) को परामर्श के लिए भेजी जाती हैं। उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केंद्रीय स्तर पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित है। उच्च न्यायपालिकाओं के न्यायाधीश के रूप में केवल उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है जिनके नाम उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए हों। वर्तमान पदों की स्थिति **उपाबंध** में दी गई है।

****

उपाबंध

01.07.2026 तक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या, कार्यरत पद संख्या और रिक्तियां

क्र. सं.	उच्च न्यायालय	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या	रिक्तियां
1	इलाहाबाद	160	108	52
2	आंध्र प्रदेश	37	29	8
3	बंबई	94	75	19
4	कलकत्ता	72	41	31
5	छत्तीसगढ	22	13	9
6	दिल्ली	60	44	16
7	गुवाहाटी	30	24	6
8	गुजरात	52	34	18
9	हिमाचल प्रदेश	17	12	5
10	जम्मू और कश्मीर और लद्दाख	25	12	13
11	झारखंड	25	13	12
12	कर्नाटक	62	48	14
13	केरल	47	36	11
14	मध्य प्रदेश	53	37	16
15	मद्रास	75	51	24
16	मणिपुर	5	3	2
17	मेघालय	4	4	0
18	उड़ीसा	33	18	15
19	पटना	53	44	9
20	पंजाब और हरियाणा	85	55	30
21	राजस्थान	50	39	11
22	सिक्किम	3	2	1
23	तेलंगाना	42	27	15
24	त्रिपुरा	5	4	1
25	उत्तराखंड	11	8	3
	कुल	**1122**	**781**	**341**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 595
जिसका उत्तर गुरुवार, 23 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

न्यायिक नियुक्तियों और न्यायिक सुधारों की स्थिति

595 डा. सस्मित पात्रा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायधीशों की नियुक्ति की वर्तमान व्यवस्था में सुधार के संबंध में न्यायपालिका, राज्य सरकारों, संवैधानिक अधिकारियों या अन्य संबंधित हितधारकों के साथ कोई परामर्श किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे परामर्श का ब्यौरा और परिणाम क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता, जवाबदेही और संस्थागत दक्षता में सुधार के उद्देश्य से अन्य संवैधानिक लोकतंत्रों में अपनाई जाने वाली न्यायिक नियुक्ति प्रक्रियाओं का कोई अध्ययन या तुलनात्मक विश्लेषण किया है ; और

(घ) न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार से संबंधित सरकार के प्रस्तावों, यदि कोई हों, की वर्तमान स्थिति क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, 217 तथा 224 द्वारा शासित होती हैं ।

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियों के लिए प्रक्रिया, सलाहकार राय, 28 अक्तूबर, 1998 (तीसरा न्यायाधीश मामला) के साथ पठित उच्चतम न्यायालय के 6 अक्तूबर, 1993 (दूसरा न्यायाधीश मामला) के निर्णय के अनुसरण में, 1998 में तैयार किए गए प्रक्रिया के ज्ञापन (एमओपी) में अधिकथित है । एमओपी के अनुसार,

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव का आरंभ भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ निहित है तथा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव का आरंभ संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ निहित है । केवल वही व्यक्ति उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों के रुप में नियुक्त किए जाते हैं, जो उच्चतम न्यायालय कालेजियम (एससीसी) द्वारा सिफारिश किए गए हों ।

सांविधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच एक सतत्, एकीकृत तथा सहयोगकारी प्रक्रिया है । इसको लिए दोनों राज्य तथा केंद्रीय स्तर पर विभिन्न सांविधानिक प्राधिकरणों से परामर्श तथा अनुमोदन अपेक्षित होता है ।

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियों की कालोजियम प्रणाली को बदलने के लिए और अधिक व्यापक आधार, पारदर्शिता, जवाबदेह नियुक्ति तंत्र तथा तंत्र में बड़ा उद्देश्य लाने के लिए, संविधान (99वां संशोधन) अधिनियम, 2014 तथा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग अधिनियम, 2014, 13 अप्रैल, 2015 को प्रभावी किए गए थे । तथापि, दोनों अधिनियमों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी । उच्चतम न्यायालय ने तारीख 16.10.2015 के निर्णय में दोनों अधिनियमों को असांविधानिक तथा शून्य घोषित किया था । संविधान (99वां संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रवर्तन से पूर्व यथाविद्यमान कॉलेजियम प्रणाली को परिचालनीय घोषित किया गया था ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 596
जिसका उत्तर गुरुवार, 23 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

ओडिशा में न्यायालयों का डिजिटलीकरण

596 श्री देबाशीष सामंतराय :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओडिशा में ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना को लागू करने में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) राज्य में डिजिटल किए गए जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या ओडिशा में डिजिटल न्यायिक अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(घ) प्रौद्योगिकी के माध्यम से न्याय तक पहुँच को बेहतर बनाने के लिए भावी कार्ययोजना क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : न्यायिक प्रणाली में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के उपयोग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना को संपूर्ण देश में चरणबद्ध रीति में कार्यान्वित किया जा रहा है । न्याय विभाग, भारत के उच्चतम न्यायासय के निकट समन्वय से, संबंधित उच्च न्यायालयों के माध्यम से विकेंद्रीकृत रीति में ई-न्यायालय परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है ।

ओडिशा राज्य में, ई-न्यायालय परियोजना सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में उड़ीसा उच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के अधीन कार्यान्वित की जा रही है । ई-न्यायालय परियोजना के चरण-3 के अधीन 845 न्यायालयों में से 817 और 215 न्यायालय परिसरों में से 203 न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए आईसीटी हार्डवेयर, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से सुज्जित किया जा चुका है । 30.06.2026 तक, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों में कुल 42.96 लाख पुराने मामले अभिलेख, जिसमें 24.17 करोड़ पृष्ठ सम्मिलित हैं, का

डिजिटलीकरण किया जा चुका है । वर्तमान में, उच्च न्यायालय में 18 न्यायालय और जिला न्यायपालिका में 343 न्यायालय पीडीएफ-आधारित उपकरणों का उपयोग करके कागज रहित पद्धति से कार्य कर रही है, जिससे मामले के अभिलेख और न्यायालय कार्यवाहियों तक डिजिटल पहुंच आसान हो रही है ।

सभी 30 जिला न्यायालयों की वेबसाइटों को एस3डब्ल्यूएएएस प्लेटफार्म पर अंतरित कर दिया गया है । जिला न्यायपालिका के अंतर्गत आने वाले 320 न्यायालयों को मामला सूचना प्रणाली (सीआईएस) 3.0 से सीआईएस4.0 में सफलतापूर्वक अंतरित कर दिया गया है । 01.01.2026 से सीआईएस ने अंतर-प्रचालनीय दांडिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) प्लेटफार्म के माध्यम से 3.10 लाख एफआईआर और 2.29 लाख आरोपपत्रों से संबंधित डाटा का उपयोग किया है ।

इसके अतिरिक्त, ई-फाइलिंग 3.0 साफ्टवेयर सभी न्यायालयों में कार्यान्वित किया गया है और 30.06.2026 तक 1.31 लाख मामले ई-फाइल किए जा चुके है । राज्य में सभी न्यायालयों में वीडियो कांफ्रेसिंग की सुविधा भी शुरू कर दी गई है और 30.06.2026 तक 7.61 लाख वर्चुअल सुनवाई संचालित की जा चुकी है । इसके अतिरिक्त दूरस्थ क्षेत्रों में नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच सक्षम करने के लिए संपूर्ण राज्य में 184 ई-सेवा केन्द्र स्थापित किए गए हैं ।

ई-न्यायालय परियोजना का चरण-3 (2023-2027) के अधीन, उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत और उपयोग की गई निधि के ब्यौरे निम्नलिखित है :

(रुपए करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत	उपयोग किया गया
2023-24	9.79	6.77
2024-25	58.48	53.24
2025-26	16.09	14.12
2026-27	7.09	0.43*

*17.07.2026 तक

ई-न्यायालय परियोजना के अधीन, लंबित निपटाए गए और ऐतिहासिक मामलों के अभिलेखों के व्यापक डिजिटलीकरण की परिकल्पना की गई ताकि उनका दीर्घकालिक संरक्षण, त्वरित पुनर्प्राप्ति, भौतिक भंडारण अपेक्षाओं में कमी और वादियों, अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों के लिए सुगम्यता में सुधार सुनिश्चित किया जा सके । इसके अतिरिक्त, व्यापक डिजिटल और कागज रहित न्यायालय प्रणाली विकसित करने की परिकल्पना की गई ताकि मामले की संपूर्ण प्रक्रिया को समाविष्ट करते हुए संपूर्ण डिजिटल न्यायालय कार्यप्रणाली को सक्षम बनाया जा सके । इसके अतिरिक्त, डिजिटल न्यायालय सेवाओं के विस्तार के लिए आवश्यक निधि की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु उड़ीसा उच्च न्यायालय, ओडिशा राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच एक त्रिपक्षत्रीय समझौता किया गया है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 597
जिसका उत्तर गुरुवार, 23 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

भारतीय न्यायालयों में लंबित मामले

597 श्री दिलीप राय :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कितनी है और इन लंबित मामलों में से, 30 वर्ष, 20 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष और 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है ; और

(ख) इन लंबित मामलों को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 16.07.2026 तक, भारत के विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित मामलों की संख्या और 30 वर्ष, 20 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष और 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या, राज्यवार **उपाबंध-1** और **उपाबंध-2** पर है।

(ख) : मामलों का निपटान न्यायपालिका के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है। न्यायालयों में मामलों की लंबितता कई कारकों के कारण उत्पन्न होती है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, शामिल तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, हितधारकों का सहयोग, अर्थात, बार, अन्वेषण अभिकरण, गवाह और मुकदमेबाज आदि शामिल हैं। तथापि, केंद्रीय सरकार मामलों के त्वरित निपटान और लंबितता को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है और मामलों के तेजी से निपटान के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए कई पहल की है:

i. न्याय वितरण को लगातार अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए 7,210 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ई- न्यायालय परियोजना (2023-2027) के तीसरे चरण को 13.09.2023 को मंजूरी दी गई थी।

ii. केंद्रीय रूप से प्रायोजित फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएस) योजना के स्कीम, बलात्संगऔर पॉक्सो अधिनियम के लंबित मामलों के त्वरित निपटान के लिए, 29 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 398 विशेष पॉक्सो (ईपोक्सो) न्यायालयों सहित 775 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएस) कार्यरत हैं और सामूहिक रूप से 3,87,481 मामलों का निपटान किया है ।

iii. पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में बकाया समिति गठित की गई है।

iv. सरकार ने लंबितता को कम करने के लिए नए आपराधिक विधि 2023, परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोश (संशोधन) अधिनियम, 2018 भी अधिनियमित किए हैं।

v. वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों को भी सरकार द्वारा बढ़ावा दिया गया है।

vi. लोक अदालत आम लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है, जहां विधि न्यायालय में या मुकदमे से पहले के स्तर पर लंबित विवादों/मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया/समझौता किया जाता है।

****

उपाबंध-1

'भारतीय न्यायालयों में लंबित मामलों' के संबंध में राज्य सभा प्रश्न संख्या 597 जिसका उत्तर तारीख 23.07.2026 को दिया जाना है के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

16.07.2026 तक लंबित मामलों की संख्या, और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में 30 वर्ष, 20 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष और 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की राज्य-वार संख्या,

		>30 वर्ष	>20 वर्ष	>10 वर्ष	>5 वर्ष	>1 वर्ष	कुल लंबित मामले
भारत का उच्चतम न्यायालय		**26**	**558**	**10,094**	**24,611**	**49,248**	**96,024**
क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम						
1	इलाहाबाद उच्च न्यायालय	53,787	1,61,598	4,88,359	7,30,562	10,76,285	12,28,353
2	बॉम्बे उच्च न्यायालय	3,901	55,255	1,85,261	3,19,478	5,30,094	6,57,813
3	कलकत्ता उच्च न्यायालय	11,417	34,551	75,268	1,09,456	1,72,644	2,00,173
4	गुवाहाटी उच्च न्यायालय	0	81	4,802	23,712	50,314	65,001
5	तेलंगाना राज्य उच्च न्यायालय	63	2,610	36,319	1,02,105	1,96,407	2,42,625
6	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय	0	94	6,149	23,454	55,270	74,109
7	राजस्थान उच्च न्यायालय	2,111	33,296	1,31,370	2,96,248	5,51,038	6,96,348
8	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	1,650	7,331	56,067	1,16,340	2,12,266	2,53,617
9	दिल्ली उच्च न्यायालय	126	2,129	20,515	42,324	93,070	1,25,478
10	गुजरात उच्च न्यायालय	19	2,143	25,287	70,017	1,39,725	1,75,436
11	हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय	3	90	8,521	40,777	81,010	1,04,770
12	जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय	4	395	6,133	13,514	33,950	44,595
13	झारखंड उच्च न्यायालय	59	3,855	14,952	29,117	55,241	72,751
14	कर्नाटक उच्च न्यायालय	44	569	22,221	78,333	2,49,161	3,37,159
15	केरल उच्च न्यायालय	74	2,004	41,511	1,06,117	2,03,002	2,46,302
16	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय	92	24,938	1,54,860	2,54,713	4,14,465	4,90,363
17	मणिपुर उच्च न्यायालय	0	5	133	1,111	4,426	6,230
18	मेघालय उच्च न्यायालय	0	0	7	99	821	1,996
19	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय	303	25,247	1,32,924	2,28,758	3,51,759	4,23,169
20	सिक्किम उच्च न्यायालय	0	0	4	16	153	318
21	त्रिपुरा उच्च न्यायालय	0	0	1	13	533	1,613
22	उत्तराखंड उच्च न्यायालय	0	869	6,291	23,431	50,824	63,263
23	मद्रास उच्च न्यायालय	3,118	76,298	1,19,699	2,05,815	4,17,639	5,67,814
24	ओडिशा उच्च न्यायालय	376	7,035	38,866	69,684	1,31,359	1,69,320
25	पटना उच्च न्यायालय	3,513	11,759	39,137	89,967	1,71,872	2,23,920
	कुल	**80,660**	**4,52,152**	**16,14,657**	**29,75,161**	**52,43,328**	**64,72,536**

स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी)

उपाबंध-2

'भारतीय न्यायालयों में लंबित मामलों' के संबंध में राज्य सभा प्रश्न संख्या 597 जिसका उत्तर तारीख 23.07.2026 को दिया जाना है के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

16.07.2026 तक लंबित मामलों की संख्या, और 30 वर्ष, 20 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष और 1 वर्ष से अधिक समय से जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में राज्य-वार लंबित मामलों की संख्या,

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों का नाम	>30 वर्ष	>20 वर्ष	>10 वर्ष	>5 वर्ष	>1 वर्ष	कुल लंबित मामले
1.	अंदमान और निकोबार	6	110	1,575	3,885	7,388	8,778
2.	आंध्र प्रदेश	55	774	18,483	1,58,015	6,90,066	9,44,280
3.	अरुणाचल प्रदेश	30	307	1,551	4,106	11,844	16,798
4.	असम	28	261	10,950	67,825	4,40,194	6,04,236
5.	बिहार	6,946	1,22,947	8,75,694	20,84,325	32,62,587	37,62,813
6.	चंडीगढ़	2	13	452	6,427	62,032	1,00,263
7.	छत्तीसगढ़	35	119	1,323	42,555	3,14,447	4,91,080
8.	दिल्ली	102	1,032	43,538	2,62,519	11,42,749	17,35,136
9.	गोवा	272	796	4,527	16,666	44,768	63,560
10.	गुजरात	136	5,987	56,620	2,44,000	10,20,264	16,00,496
11.	हरियाणा	16	85	5,483	2,22,878	11,11,724	15,27,352
12.	हिमाचल प्रदेश	4	46	10,516	80,486	3,17,396	6,33,979
13.	जम्मू और कश्मीर	45	654	20,765	84,126	2,58,880	3,64,800
14.	झारखंड	79	1,012	44,399	1,59,284	4,30,321	5,84,838
15.	कर्नाटक	206	3,848	99,539	4,30,706	15,72,808	23,21,907
16.	केरल	222	1,232	48,078	3,43,815	12,84,608	18,12,563
17.	लद्दाख	0	0	11	112	937	1,754
18.	लक्षद्वीप	0	2	26	99	418	601
19.	मध्य प्रदेश	144	1,047	35,545	3,82,500	15,68,316	21,34,825
20.	महाराष्ट्र	12,109	69,626	5,52,572	17,65,495	47,68,805	61,80,192
21.	मणिपुर	10	38	842	3,166	9,223	14,857
22.	मेघालय	59	309	2,501	5,731	13,183	19,159
23.	मिज़ोरम	0	2	24	576	4,800	9,798
24.	नागालैंड	0	9	309	1,191	3,333	4,101
25.	ओडिशा	4,441	45,333	3,07,216	7,66,177	15,60,820	18,68,323
26.	पुडुचेरी	1	56	2,514	7,672	23,752	36,841
27.	पंजाब	9	90	4,090	67,007	5,54,092	10,17,925
28.	राजस्थान	341	2,827	83,567	6,93,167	20,89,199	27,45,299
29.	सिक्किम	0	1	4	36	965	2,265
30.	तमिलनाडु	450	4,173	63,962	2,68,543	10,91,674	17,81,234
31.	तेलंगाना	236	1,740	20,277	1,78,176	7,63,779	10,11,003
32.	दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव	0	30	391	1897	6,234	8,575
33.	त्रिपुरा	49	123	739	4281	26,202	75,020
34.	उत्तर प्रदेश	37,394	3,41,397	23,09,086	49,08,308	96,40,686	1,19,46,397
35.	उत्तराखंड	9	139	7,322	55,628	2,18,426	3,09,849
36.	पश्चिमी बंगाल	17,839	1,15,192	8,02,541	15,24,468	31,78,638	41,04,641
	कुल	**81,275**	**7,21,357**	**54,37,032**	**1,48,45,848**	**3,74,95,558**	**4,98,45,538**

स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी)

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 599
जिसका उत्तर गुरुवार, 23 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

न्यायालय अवसंरचना और एआई का एकीकरण

599 डा. सिकंदर कुमार :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने देश भर की फास्ट-ट्रैक पॉक्सो न्यायालयों के भीतर विशेष रूप से लेग-आर-ए-ए और सुपेस जैसे एआई-समर्थित विधिक सहायकों की तैनाती के संबंध में ई-कोर्टस मिशन मोड परियोजना चरण-III के परिणामों का मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इन स्वचालित उपकरणों के माध्यम से विशेष न्यायालयों में मामलों के निपटान में लगने वाले समय और संरचनात्मक विलंबन में आई कमी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कोई सुरक्षा दिशानिर्देश और नैतिक सुरक्षा उपाय स्थापित किए गए हैं कि एआई उपयोगिताएँ व्यक्तिपरक न्यायिक निर्णयन में हस्तक्षेप किए बिना केवल विधिक अनुसंधान में सहायक हों ; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : ई-न्यायालय परियोजना के चरण-3 के अधीन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित उभरती प्रौद्यौगिकियों के एकीकरण हेतु भविष्य की प्रौद्योगिक उन्नति घटक के अधीन 53.57 करोड़ रुपए की रकम निश्चित की गई है ।

भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, विधिक अनुसंधान-विश्लेषण सहायक (लेग-आर-ए-ए) जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण, जो

माननीय न्यायाधीशों को विधिक अनुसंधान और दस्तावेज विश्लेषण में सहायता प्रदान करते हैं और डिजिटल न्यायालय 2.1, जो एकीकृत डिजिटल वाद-प्रबंधन के लिए विकसित किया गया है, पायलट परीक्षण के चरण में हैं । न्यायालय दक्षता में उच्चतम न्यायालय सहायता पोर्टल (सुपेस) का वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा रहा है । ये पायलट पहल विशेष रूप से त्वरित निपटान पॉक्सो न्यायालयों के लिए नहीं है । तदनुसार, उपर्युक्त के संबंध में कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है ।

कृत्रिम बुद्दिमत्ता आधारित समाधानों के परिनियोजन और उनके भावी उपयोग को शासित करने वाला प्रचालन ढांचा, भारत के उच्चतम न्यायालय और संबंधित उच्च न्यायालयों के व्यवसाय के नियमों और नीतियों के अनुसार विनिश्चित किया जाता है ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. *126

जिसका उत्तर गुरुवार, 30 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

न्याय और विधिक सहायता तक पहुँच

***126 श्री उज्जवल देवराव निकम :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सहायता तथा विधिक परामर्श प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार देश के जिलों में स्थापित तथा कार्यरत विधिक सहायता बचाव परामर्श कार्यालयों की राज्य-वार संख्या कितनी-कितनी है ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्गत निधि तथा तत्संबंधी उपयोग का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से संवितरित मुआवजे सहित अपराध के पीड़ितों के लिए विधिक सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

<u>श्री उज्जवल देवराव निकम द्वारा 'न्याय और विधिक सहायता तक पहुंच' के संबंध में पूछ गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *126, जिसका उत्तर तारीख 30-7-2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।</u>

(क) : पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अधीन राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार निःशुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या **उपाबंध-क** पर दी गई है ।

(ख) : देश के जिलों में 30.06.2026 तक स्थापित और कार्यरत विधिक सहायता प्रतिरक्षा परामर्शी कार्यालयों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या **उपाबंध-ख** पर दी गई है ।

(ग) : भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय विधिक सहायता कोष और विधिक सहायता प्रतिरक्षा परामर्शी प्रणाली (एलएडीसीएस) स्कीम के संबंध में नाल्सा को जारी की गई निधियों का विवरण और पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उसका उपयोग निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	विधिक सहायता कोष के अधीन (करोड़ रुपये में)		एलएडीसीएस स्कीम के अधीन (करोड़ रुपये में)		कुल (करोड़ रुपये में)	
	जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई
2023-24	400.00#	399.31	-	-	400.00	399.31
2024-25	200.00	197.10	147.92	114.66*	347.92	311.76
2025-26	220.00	219.67	295.83	245.82*	515.83	465.49

नयी पुर:स्थापित एलएडीसीएस स्कीम के लिए 400 करोड़ रुपये में से 200 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे क्योंकि उनके द्वारा एलएडीसीएस स्कीम के लिए अलग से बजट शीर्ष नहीं खोला गया था ।

*पीएफएमएस के नव पुर:स्थापित टीएसए/टीएसए हाइब्रिड मॉड्यूल के अधीन कुछ तकनीकी खामियों और कुछ जिलों/राज्यों में एलएडीसीएस कार्यालयों के परिचालन में न होने के कारण, एलएडीसीएस स्कीम के अधीन वित्तीय वर्ष 2024-25 और वर्ष 2025-26 के दौरान एसएलएसए और डीएसएलए के लिए पूरी निधि का उपयोग नहीं किया जा सका ।

(घ) : बीएनएसएस की पीड़ित प्रतिकर स्कीम के लिए धारा 396 (1) में उपबंध है कि "प्रत्येक राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार के समन्वय से, अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति झेलने वाले और पुनर्वास की आवश्यकता वाले पीड़ित या उसके आश्रितों को प्रतिकर के प्रयोजन हेतु निधि उपलब्ध कराने के लिए एक स्कीम तैयार करेगी" । इसके अतिरिक्त, बीएनएसएस की धारा 396 (2) में कहा गया है कि "जब भी न्यायालय द्वारा प्रतिकर के लिए सिफारिश की

जाती है, तो, यथास्थिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्कीम के अधीन दिए जाने वाले प्रतिकर की मात्रा का निर्णय करेगा"।

विधिक सेवा प्राधिकरण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (भानासुसं), 2023 की धारा 396 (तत्कालीन दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 की धारा 357क) के अधीन अपराध पीड़ितों को प्रतिकर भी प्रदान करती है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (एसएलएसए)/जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (डीएलएसए) की भूमिका राज्य सरकारों की पीड़ित प्रतिकर स्कीमों के अधीन अपराध पीड़ितों के लिए प्रतिकर प्रदत्त करने तक सीमित है।

एनएएलएसए द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 396 (तत्कालीन सीआरपीसी की धारा 357क) के अधीन पिछले तीन वर्षों (2023-24 से 2025-26) के दौरान प्रदान किए गए पीड़ित प्रतिकर का विवरण निम्नानुसार है :

वित्तीय वर्ष	प्रदत्त प्रतिकर (रुपयों में)
2023-24	4,02,90,06,736
2024-25	4,84,67,37,631
2025-26	4,56,17,73,258

******

<u>उपाबंध-क</u>

'न्याय और विधिक सहायता तक पहुंच' के संबंध में राज्य सभा के तारांकित प्रश्न संख्या *126, जिसका उत्तर तारीख 30-7-2026 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन दी गई विधिक सेवाओं से लाभ पाने वाले व्यक्तियों की संख्या दर्शित करने वाला विवरठण ।				
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्राधिकरण का नाम**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	220	341	444
2	आंध्र प्रदेश	8,265	11,266	13,359
3	अरुणाचल प्रदेश	5,696	9,236	9,221
4	असम	63,749	82,694	1,00,021
5	बिहार	1,51,413	84,505	76,361
6	चंडीगढ़	2,822	2,951	3,371
7	छत्तीसगढ	62,164	80,874	93,882
8	दादरा और नागर हवेली	55	45	83
	दमण और दीव	34	119	164
9	दिल्ली	1,21,882	76,526	72,554
10	गोवा	1,558	1,889	4,283
11	गुजरात	40,569	50,467	1,14,652
12	हरियाणा	76,863	82,194	1,35,775
13	हिमाचल प्रदेश	7,346	6,222	6,512
14	जम्मू-कश्मीर	11,396	18,602	26,330
15	झारखंड	2,69,303	3,28,365	4,43,757
16	कर्नाटक	53,406	51,245	65,519
17	केरल	36,498	26,571	36,168
18	लद्दाख	505	324	255
19	लक्षद्वीप	0	1	14
20	मध्य प्रदेश	2,25,510	2,33,009	2,31,101
21	महाराष्ट्र	53,756	59,454	65,065
22	मणिपुर	62,635	99,062	75,148
23	मेघालय	2,371	2,754	4,909
24	मिजोरम	4,801	3,713	4,789
25	नागालैंड	4,603	5,012	11,351
26	ओडिशा	19,289	22,134	17,749
27	पुडुचेरी	621	616	536
28	पंजाब	60,361	65,513	85,128
29	राजस्थान	20,290	22,216	29,181
30	सिक्किम	1,074	901	1,143
31	तमिलनाडु	45,180	52,528	55,974
32	तेलंगाना	13,193	16,021	21,104
33	त्रिपुरा	9,964	10,303	10,182
34	उत्तर प्रदेश	29,079	22,732	31,748
35	उत्तराखंड	21,339	34,208	52,059
36	पश्चिमी बंगाल	62,354	92,914	1,07,884
	कुल	**15,50,164**	**16,57,527**	**20,07,776**

<u>उपाबंध-ख</u>

'न्याय और विधिक सहायता तक पहुंच' के संबंध में राज्य सभा के तारांकित प्रश्न संख्या *126, जिसका उत्तर तारीख 30-7-2026 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

30.06.2026 तक पूरे देश में स्थापित और कार्यरत विधिक सहायता प्रतिरक्षा परामर्शी कार्यालयों के ब्यौरे अंतर्विष्टकरने वाला विवरण ।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्राधिकरण का नाम	एलएडीसीएस कार्यालयों की संख्या
1	अंदमान और निकोबार	0
2	आंध्र प्रदेश	13
3	अरुणाचल प्रदेश	21
4	असम	33
5	बिहार	37
6	चंडीगढ़	1
7	छत्तीसगढ	23
8	दादरा और नागर हवेली	1
	दमण और दीव	1
9	दिल्ली	12
10	गोवा	2
11	गुजरात	34
12	हरियाणा	22
13	हिमाचल प्रदेश	11
14	जम्मू-कश्मीर	20
15	झारखंड	24
16	कर्नाटक	30
17	केरल	14
18	लद्दाख	2
19	लक्षद्वीप	0
20	मध्य प्रदेश	50
21	महाराष्ट्र	33
22	मणिपुर	9
23	मेघालय	11
24	मिजोरम	8
25	नागालैंड	11
26	ओडिशा	25
27	पुडुचेरी	2
28	पंजाब	22
29	राजस्थान	44
30	सिक्किम	2
31	तमिलनाडु	32
32	तेलंगाना	33
33	त्रिपुरा	8
34	उत्तर प्रदेश	74
35	उत्तराखंड	13
36	पश्चिमी बंगाल	14
	कुल	**692**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *131
जिसका उत्तर गुरुवार, 30 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

न्यायाधीशों के रिक्त पद

***131 श्री विवेक के. तन्खा :**

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार देशभर में उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की संस्वीकृत और वास्तविक संख्या कितनी है ;

(ख) एक वर्ष से अधिक समय से लंबित पड़े रिक्त पदों की संख्या कितनी है ;

(ग) इन रिक्त पदों के लिए कॉलेजियम द्वारा की गई अनुशंसाओं की स्थिति क्या है ; और

(घ) इन रिक्त पदों को भरने के लिए संभावित समय-सीमा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

"न्यायाधीशों के रिक्त पद" के संबंध में राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *131, जिसका उत्तर तारीख 30.07.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

(क) से (घ) : 23.07.2026 तक, 1122 की स्वीकृत संख्या में से 781 न्यायाधीश विभिन्न उच्च न्यायालयों में काम कर रहे हैं।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है और 28 अक्टूबर, 1998 (तीसरे न्यायाधीश के मामले में) की सलाहकारी राय के साथ पठित 6 अक्टूबर, 1993 (द्वितीय न्यायाधीश का मामला) के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में 1998 में तैयार प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है । प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को आरंभ करने का उत्तरदायित्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को आरंभ करने का उत्तरदायित्व उच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित होता है ।

प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, उच्च न्यायालयों को रिक्ति होने से कम से कम 06 महीने पहले सिफारिशें करना अपेक्षित होता है । हालांकि, इस समय-सीमा का पालन शायद ही कभी किया जाता है । उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के लिए, संबंधित राज्य सरकार के विचार प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार प्राप्त किए जाते हैं । सिफारिशों पर ऐसी अन्य रिपोर्टों के आलोक में भी विचार किया जाना चाहिए जो विचाराधीन नामों के संबंध में सरकार के पास उपलब्ध हो सकती हैं । इसके बाद उच्च न्यायालय कॉलेजियम, राज्य सरकारों और भारत सरकार की सिफारिशों को सलाह के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को भेजा जाता है। केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जाता है जिनके नाम एससीसी द्वारा सिफारिश किए गए हैं ।

उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है । इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित होता है । इसलिए, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियों को भरने के लिए आवश्यक समय का उल्लेख नहीं किया जा सकता है ।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने का उत्तरदायित्व उच्च न्यायालयों और संबंधित राज्य सरकारों का है । संवैधानिक ढांचे के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से, संबंधित राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और भर्ती के संबंध में नियम और विनियम बनाती है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने मलिक मजहर सुल्तान मामले में जनवरी, 2007 में पारित आदेश द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती के लिए राज्यों और संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा अनुसरण की जाने वाली कतिपय समय-सीमाएं निर्धारित की है । 20.07.2026 तक, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या और कार्यरत संख्या क्रमशः 30,868 और 23,558 है ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1385

जिसका उत्तर गुरुवार, 30 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

विधिक सहायता तक पहुंच को सुदृढ़ बनाना

1385 # श्रीमती माया नारोलिया :

श्री रायगा कृष्णैया :

श्री मनन कुमार मिश्र :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) टेली-लॉ, न्याय बंधु और अन्य पहलों के माध्यम से विधिक सहायता तक पहुंच को सुदृढ़ करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं ;

(ख) लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम का कार्यान्वयन किस हद तक किया गया है और देशभर में इसका प्रचालनात्मक विस्तार कितना हुआ है तथा इसके अंतर्गत अब तक कितने मामलों में विधिक प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराया गया है ;

(ग) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत स्थापित विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की जा रही विधिक सेवाओं और संचालित जन-जागरूकता कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है, जिसमें निःशुल्क विधिक सहायता, विधिक जागरूकता तथा पीड़ित को मुआवज़ा संबंधी पहलें भी शामिल हैं ; और

(घ) न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना (दिशा) पहल के अंतर्गत लाभार्थियों के कवरेज का घटक-वार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : न्याय की समग्र सुगमता के लिए अभिनव समाधान तैयार करना (दिशा) स्कीम 2026-31 की अवधि के लिए 255 करोड़ रुपये के अनुमोदित वित्तीय परिव्यय के साथ संपूर्ण भारत में कार्यान्वयन हेतु बतौर केंद्रीय सेक्टर स्कीम दिशा 2.0 के रुप में जारी रखी गई है । दिशा 2.0 अपने घटकों जैसे कि टेली-विधि (वंचितों तक पहुंच), न्यायबंधु (नि:शुल्क विधिक सेवाएं)

कार्यक्रम और विधिक साक्षरता तथा विधिक जागरुकता कार्यक्रम (एलएलएलएपी) के माध्यम से आसान, सुगम्य, वहनीय, प्रौद्योगिकी सामर्थ्य तथा जन केंद्रित विधिक सेवाएं प्रदान करती है। एक शीर्ष स्तरीय अर्थात् विधि (सद्भावपूर्ण विधिक पहलों के एकीकृत परिदान के लिए कल्पना) संजीवनी की पुर:स्थापना दिशा 2.0 के अधीन की गई है ।

टेली-विधि जनता को, पंचायत स्तर पर सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी)/ग्राम स्तर उद्यमी (वीएलई) पर उपलब्ध वीडियो/टेली कांफ्रेंसिंग सुविधाओं के उपयोग के माध्यम से नि:शुल्क मुक्कदमा-पूर्व विधिक सलाह देने के लिए मोबाइल ऐप और टोल फ्री नं. 14454 के माध्यम से अधिवक्ताओं के पैनल के साथ जोड़ती है । न्याय सहायक, जो कि सक्रिय समुदाय आधारित विधिक सुविधा प्रदाता हैं, सेवा परिदान को सुदृढ़ करने के लिए आकांक्षा ब्लाक में लगे हुए हैं ।

न्यायबंधु (नि:शुल्क विधिक सेवाएं) कार्यक्रम, न्यायबंधु पोर्टल तथा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन पात्र फायदाग्राहियों को नि:शुल्क विधिक सहायता सुकर बनाने के द्वारा अधिवक्ताओं तथा विधि छात्रों के बीच नि:शुल्क संस्कृति को संवर्द्धित करता है । नि:शुल्क पैनल 23 उच्च न्यायालयों में गठित किया गया है, जिसमें राज्य-विनिर्दिष्ट विधिक सहायता के लिए 1625 अधिवक्ता नामांकित है ।

विधिक साक्षरता तथा विधिक जागरुकता कार्यक्रम (एलएलएलएपी) का पूर्ण ध्यान विद्यमान जमीनी स्तर पर/पहली पंक्ति के विधिक कर्मकारों/ स्वयं सेवकों के क्षमता निर्माण तथा देश में विधिक साक्षरता तथा विधिक जागरुकता को फैलाने पर है । इसके अतिरिक्त, सामाजिक-विधिक मुद्दों जैसे कि साइबर क्राइम, न्याय की सुगमता, बाल संरक्षण, सांविधानिक चुनौतियां तथा घरेलू हिंसा पर विषयक वेबीनार भी संचालित किए जाते हैं ।

विधि (सद्भावपूर्ण विधिक पहलों के एकीकृत परिदान के लिए कल्पना) संजीवनी को दिशा 2.0 के अधीन केंद्रित एकीकृत डैशबोर्ड के विकास तथा परिचालन के माध्यम से स्कीम के मानीटरी तंत्र के संवर्द्धन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक के रुप में परिकल्पित किया गया है । यह एआई-चलित सहायता तंत्र के माध्यम से प्रौद्योगिकी सामर्थ्य सेवा सहायता तथा उपयोगकर्ता के साथ बातचीत में सुधार को सुकर बनाने के लिए न्यायसेतु एआई चैटबॉट के साथ एकीकरण को परिकल्पित करता है ।

(ख) और (ग) : 31 मार्च,2026 की स्थिति के अनुसार, विधिक सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली (एलएडीसीएस) स्कीम के अधीन देश भर में जिला स्तर पर 692 जिलों में एलएडीसी कार्यालय कार्यात्मक हैं । पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2023-2026) के दौरान एलएडीसी को 13,87,460 मामले समनुदेशित किए गए थे और 9.64 लाख से अधिक मामले एलएडीसी द्वारा निपटाए गए थे । उसी अवधि के दौरान, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) ने 14,81,308 विधिक

जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें 12.95 करोड़ से अधिक व्यक्ति उपस्थित हुए थे ।

विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य सरकार द्वारा चलाई गई पीड़ित प्रतिकर स्कीम के अनुसार बीएनएसएस की धारा 396 (तत्कालीन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357क) के अधीन पीड़ितों को प्रतिकर देता है । वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, 17,814 आवेदन प्राप्त हुए थे तथा लगभग 456.18 करोड़ रुपये प्रतिकर के रुप में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357क (अब बीएनएसएस की धारा 396) के अधीन पीड़ित प्रतिकर स्कीम के अधीन दिए गए थे ।

(घ) : दिशा स्कीम के अधीन घटक-वार फायदाग्राहियों का संपूर्ण ब्यौरा निम्नानुसार हैं :-

क्र. सं.	दिशा के अधीन कार्यक्रम		फायदाग्राहियों की संख्या (31.03.2026 की स्थिति के अनुसार)
1.	टेली-विधि	मुक्कदमा-पूर्व दी गई विधिक सलाह	1,12,74,583
2.	न्यायबंधु (नि:शुल्क विधिक सेवाएं)	पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता	10,375
		नि:शुल्क सहायता के लिए रजिस्ट्रीकृत मामले	5,101
3.	एलएलएलएपी	फायदाग्राहियों तक पहुंच	1,21,58,459

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1386
जिसका उत्तर गुरुवार, 30 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

राजस्थान में ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन

1386 # श्री नीरज डांगी:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजस्थान में ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब के प्रमुख कारण क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार के पास राज्य में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में अब तक हुई प्रगति का जिला-वार ब्यौरा उपलब्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) राज्य के कितने जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में ई-फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई, डिजिटल अभिलेख प्रबंधन तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सुविधाएं पूर्ण रूप से संचालित हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने राजस्थान में ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए कोई संशोधित समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो परियोजना के पूर्ण होने की संभावित तिथि क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : राजस्थान राज्य में, ई -न्यायालय मिशन मोड परियोजना भारत सरकार के न्याय विभाग के मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण और मॉनीटरिंग में, भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के समन्वय से कार्यान्वित की जा रही है। भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, राजस्थान उच्च न्यायालय विहित मार्ग दर्शक सिद्धांतों और समय-

सीमाओं के अनुरूप परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रशासनिक और तकनीकी उपाय कर रहा है।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) अवसंरचना, केस सूचना प्रणाली (सीआईएस), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं, ई-फाइलिंग, ई-सेवा केंद्र और अन्य पहलों सहित परियोजना के विभिन्न घटकों को व्यवस्थित रीति से लागू किया जा रहा है। परियोजना की प्रगति की नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जाती है और सभी हितधारकों को परियोजना के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के प्रभावी उपयोग के माध्यम से न्यायिक सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए निरंतर समन्वय बनाए रखा जाता है।

(ख) : विभिन्न सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पहलों के लिए ई-न्यायालय परियोजना की जिलावार कार्यान्वयन स्थिति उपाबंध-1 में संलग्न है।

(ग) : 1471 न्यायालयों में ई-फाइलिंग सुविधा है। 1376 न्यायालयों में आभासी सुनवाई /वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा है। 1425 न्यायालयों में न्यायिक अभिलेखों की स्कैनिंग और डिजिटलीकरण सुविधा संक्रिय है।

(घ) : ई-न्यायालय परियोजना के चरण 3 की शुरुआत 2023 में मार्च 2027 तक 4 वर्षों की अवधि के लिए की गई थी। अभी तक कोई संशोधित समय-सीमा विहित नहीं की गई है।

****

उपाबंध 1

राजस्थान में ई-न्यायालय मिशन मोड प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1386 जिसका उत्तर 30.07.2026 को दिया जाना है के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

राजस्थान राज्य में ई-न्यायालय परियोजना की जिलावार कार्यान्वयन स्थिति:

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	सीआईएस कार्यान्वयन	वी सी प्रसुविधा की उपलब्धता	ई-सम्मन (एनएसटीपी और त्वरित)	ई-फाइलिंग और ई-पे वितरण	स्कैनिंग और डिजिटाइजेशन	आईसीजेएस*	ई-सेवा केंद्र	सौर	न्यायालय परिसर और न्यायालयों में हार्डवेयर इंस्टालेशन
लक्ष्य		(हां/नहीं)	(हां/नहीं)	(हां/नहीं)	(हां/नहीं)	(हां/नहीं)	(हां/नहीं)	92	109	(हां/नहीं)
1	अजमेर	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	1	2	हाँ
2	अलवर	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	-	-	हाँ
3	बाड़मेर	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	2	-	हाँ
4	बांसवाड़ा	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	1	2	हाँ
5	बारां	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	1	7	हाँ
6	भरतपुर	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	-	-	हाँ
7	भीलवाड़ा	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	-	4	हाँ
8	बीकानेर	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	2	2	हाँ
9	बूंदी	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	8	5	हाँ
10	चित्तौड़गढ़	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	5	10	हाँ
11	चुरू	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	1	2	हाँ
12	दौसा	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	2	1	हाँ
13	धौलपुर	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	-	1	हाँ
14	डूंगरपुर	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	-	4	हाँ
15	हनुमानगढ़	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	2	3	हाँ
16	जयपुर जिला	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	1	5	हाँ
17	जयपुर मेट्रो I	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	2	4	हाँ
18	जयपुर मेट्रो II	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	1	1	हाँ
19	जैसलमेर	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	-	3	हाँ
20	जालौर	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	1	-	हाँ
21	झालावाड़	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	-	3	हाँ
22	झुंझुनू	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	1	-	हाँ
23	जोधपुर जिला	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	1	-	हाँ
24	जोधपुर मेट्रो	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	2	1	हाँ
25	करौली	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	-	1	हाँ
26	कोटा	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	2	4	हाँ
27	मेर्टा	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	-	2	हाँ
28	पाली	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	1	5	हाँ

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	सीआईएस कार्यान्वयन	वी सी प्रसुविधा की उपलब्धता	ई-सम्मन (एनएसटीपी और त्वरित)	ई-फाइलिंग और ई-पे वितरण	स्कैनिंग और डिजिटाइजेशन	आईसीजेएस*	ई-सेवा केंद्र	सौर	न्यायालय परिसर और न्यायालयों में हार्डवेयर इंस्टालेशन
लक्ष्य		**(हां/नहीं)**	**(हां/नहीं)**	**(हां/नहीं)**	**(हां/नहीं)**	**(हां/नहीं)**	**(हां/नहीं)**	**92**	**109**	**(हां/नहीं)**
29	प्रतापगढ़	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	1	1	हाँ
30	राजसमंद	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	2	3	हाँ
31	सहाँ माधोपुर	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	1	3	हाँ
32	सीकर	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	2	3	हाँ
33	सिरोही	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	-	2	हाँ
34	श्री गंगानगर	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	1	2	हाँ
35	टोंक	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	1	3	हाँ
36	उदयपुर	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	-	3	हाँ
37	ब्यावर	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	इन नवनिर्मित न्यायधीश परिषद के अभिलेख अब भी पुरानी न्यायदहीस परिषद में उपलब्ध है	हाँ	1	2	हाँ
38	बालोतरा	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ		हाँ	-	2	हाँ
39	खैरथल-तिजारा	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ		हाँ	2	2	हाँ
40	कोटपुतली-बहरोड़	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ		हाँ	1	3	हाँ
41	डीडवाना-कुचामन	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ		हाँ	1	1	हाँ
42	डीग	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ		हाँ	-	-	हाँ
43	फलौदी	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ		हाँ	-	-	हाँ
44	सलूम्बर	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ		हाँ	-	1	हाँ
	कुल							**50**	**103**	

(स्रोत : ई-कमेटी, भारतीय उच्चतम न्यायालय)

आईसीजेएस*: अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1387

जिसका उत्तर गुरुवार, 30 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

न्याय प्रदायगी प्रणाली का डिजिटलीकरण

1387 # श्री मदन राठौड़ :

श्री बृज लाल :

श्रीमती सीमा द्विवेदी :

श्री मंयक कुमार नायक :

श्री मनन कुमार मिश्र :

श्री अमर पाल मौर्य :

श्री राजीव शुक्ला :

श्री बाबू राम निषाद :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना के चरण-III के अंतर्गत अब तक प्राप्त प्रगति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) वर्चुअल सुनवाई, ई-फाइलिंग, ई-भुगतान और अन्य डिजिटल न्यायालय सेवाओं के माध्यम से प्रौद्योगिकी-सक्षम न्याय प्रदायगी को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ;

(ग) डिजिटलीकरण के माध्यम से न्यायिक सेवाओं की पंहुच और दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से कौन-कौन सी पहलें की गई हैं ; और

(घ) समयबद्ध न्याय प्रदान करने के संदर्भ में इन पहलों से अपेक्षित परिणाम क्या हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना को न्यायिक प्रणाली में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के उपयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से देश भर में चरणबद्ध रीति से क्रियान्यवित किया जा रहा है । चरण-3 (2023-27) में अभिलेखों के बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण, आभासी सुनवाई के व्यापक उपयोग, न्याय संस्थानों में गहरी अंतर-संचालनीयता

और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सहित उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने के माध्यम से डिजिटल, कागज रहित और अधिक बुद्धिमान न्यायालयों की ओर परिवर्तन की परिकल्पना की गई है। परियोजना के चरण -3 के अधीन हासिल की गई प्रगति का विवरण **उपाबंध-1** पर है।

(ख) से (घ) : उपाबंध-1 में उल्लिखित चरण तीन के अधीन प्राप्त प्रगति के अतिरिक्त, ई-न्यायालय परियोजना के अन्य दो चरणों ने डिजिटल न्यायिक पारिस्थितिकी तंत्र की नींव रखी । 2011 में शुरू किया गया चरण-1 मुख्य रूप से न्यायपालिका के बुनियादी डिजिटल अवसंरचना की स्थापना पर केंद्रित था। इसने 14,249 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण, 13,683 न्यायालयों में लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन) की स्थापना और डिजिटल मामला प्रबंधन के लिए 13,672 न्यायालयों का सॉफ्टवेयर सक्षमकरण, 493 न्यायालयों और 347 जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं प्राप्त की हैं।

इस आधार पर, चरण-2, 2015 से 2023 तक क्रियान्यवित किया गया, नागरिक-केंद्रित डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए बुनियादी कंप्यूटरीकरण के दायरे का विस्तार किया। कंप्यूटरीकृत न्यायालयों की संख्या बढ़कर 18,735 हो गई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का विस्तार 3,240 न्यायालयों और 1,272 जेलों तक हो गया और वैन सन्योजकता 99.5% न्यायालय परिसरों तक पहुंच गई। इस चरण में फ्री एंड ओपन-सोर्स मामला सूचना प्रणाली (सीआईएस), राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी), जजमेंट एंड सर्च ऑर्डर पोर्टल जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म की शुरुआत और उन्नयन और ई-सेवा केंद्रों की स्थापना भी देखी गई।

एक साथ, इन पहलों का उद्देश्य उन्नत प्रौद्योगिकियों और नागरिक-केंद्रित डिजिटल सेवाओं को अपनाकर एक एकीकृत, पेपरलेस और डिजिटल न्यायिक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना, डिजिटल मामला प्रबंधन, सूचना विनिमय को मजबूत करना और न्यायिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना है।

*****

उपाबंध-1

<u>न्याय प्रदायगी प्रणाली के डिजिटलीकरण के संबंध में राज्य सभा प्रश्न संख्या 1387 जिसका उत्तर 30.07.2026 को दिया जाना है,के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण</u>

ई- न्यायालय चरण-3 के अधीन हुई प्रगति का विवरण:

क्र. सं.	घटक का नाम	उपलब्धि
1.	पूरी तरह से कार्यात्मक ईसेवा केंद्र	1806 को न्यायालय परिसरों में स्थापित किया गया
2.	कागज रहित न्यायालयों के लिए अवसंरचना की स्थापना	474 न्यायालयों में आवश्यक हार्डवेयर से सुसज्जित हैं।
3.	मजबूत डिजिटल अवसंरचना का निर्माण करके न्यायालय के मामलों की सुनवाई के लिए वर्चुअल न्यायालय का विस्तार।	538 न्यायालय सुसज्जित हैं
4.	संपूर्ण न्यायालय अभिलेख का डिजिटलीकरण - विरासत अभिलेख और नए मामलों की फाइलिंग दोनों	753.60 करोड़ पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया गया
5.	न्यायालय के मामले की ई-फाइलिंग का कार्यान्वयन	4519 न्यायालय
6.	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए उपलब्ध अवसंरचना को बढ़ाने और उन्नत करने का उपबंध	7553 प्रतिष्ठानों में न्यायालयों, जेलों और अस्पतालों सहित वीसी सुविधाएं हैं।
7.	न्यायालय रूम लाइव ऑडियो-विजुअल स्ट्रीमिंग प्रणाली	11 उच्च न्यायालय
8.	आईसीटी अवसंरचना की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सौर सुविधाएं	1626 न्यायालय परिसर सुसज्जित हैं
9.	नेशनल सर्विस एंड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेस (एनस्टैप) सुविधा प्रदान करना	6895 न्यायालयों में एन.एस.टी.ई.पी. सुविधा है।
10.	सभी उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय की वेबसाइटों का एस3डब्ल्यूएएस प्लेटफॉर्म पर माइग्रेशन	734 न्यायालय स्थलों को स्थानांतरित किया गया
11.	दूसरे चरण में न्यायालयों और न्यायिक अधिकारियों के लिए अतिरिक्त हार्डवेयर	18380 न्यायालयों ने प्रदान किया
12.	न्यायालयों, पुलिस, जेलों, फोरेंसिक प्रयोगशालाओं जैसे विभिन्न स्तंभों के बीच डेटा और सूचना के निर्बाध हस्तांतरण को सक्षम करने के लिए इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) के साथ एकीकरण	सभी उच्च न्यायालयों ने आईसीजेएस को लागू किया है
13.	सभी हितधारकों का प्रशिक्षण	2372 प्रशिक्षण आयोजित किए गए
14.	ज्ञान प्रबंधन	आईआईटी मद्रास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) विकसित कर रहा है
15.	संयोजकता	सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क (एसडीडब्ल्यूएएन) तकनीक से जुड़े 174 साइट

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1388
जिसका उत्तर गुरुवार, 30 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

ओडिशा के दूरस्थ जिलों में न्यायालयों की सुलभता

1388 श्रीमती सुलता देव :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ओडिशा के दूरस्थ और जनजातीय जिलों में वादियों, गवाहों तथा अधिवक्ताओं के लिए न्यायालयों की सुलभता की समीक्षा की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ख) : भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, ओडिशा उच्च न्यायालय और राज्य सरकार द्वारा ओडिशा के दूरस्थ और आदिवासी जिलों में न्यायालयों की अभिगम्यता नियमित रूप से पुनर्विलोकित की जाती है। इस पुनर्विलोकन से यह स्पष्ट होता है कि डिजिटल न्यायिक सेवाओं ने ई-फाइलिंग, आभासी सुनवाई, मामलों की प्रास्थिति, आदेशों और निर्णयों की ऑनलाइन अभिगम्यता और अन्य नागरिक-केंद्रित सेवाओं को न्याय तक पहुंच में उल्लेखनीय सुधार किया है। ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के तीसरे चरण के अधीन, दूरस्थ और आदिवासी जिलों सहित न्यायालय सेवाओं की पहुंच और दक्षता में वृद्धि हेतु पूरे राज्य में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) अवसंरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1389

जिसका उत्तर गुरुवार, 30 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

ओडिशा न्यायिक अकादमी को सुदृढ़ बनाना

1389 श्रीमती सुलता देव :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत पाँच वर्षों के दौरान ओडिशा न्यायिक अकादमी को सुदृढ़ बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा कोई वित्तीय अथवा तकनीकी सहायता प्रदान की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : जी, हां । मंत्रालय ने ओडिशा न्यायिक अकादमी (ओजेए) को ई-कोर्ट परियोजना चरण-III के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान की है । यह सहायता ओडिशा उच्च न्यायालय के माध्यम से न्यायिक अधिकारियों और अन्य हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) जागरुकता /परिवर्तन /बदलाव प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए दी गई है । ओडिशा उच्च न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान ओडिशा न्यायिक अकादमी को आबंटित निधियां निम्नानुसार हैः-

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम और ओजेए के डिजिटल घटक के लिए आबंटित निधियां (रुपए में)
1.	2022-23	0
2.	2023-24	3,79,988
3.	2024-25	39,25,231
4.	2025-26	1,82,34,698
5.	2026-27	8,00,000

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1391
जिसका उत्तर गुरुवार, 30 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

जमानत के लिए फार्मूला

1391 # श्री रामजी लाल सुमन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज किए गए मामलों में जमानत प्रदान किए जाने हेतु कोई निश्चित फार्मूला निर्धारित नहीं है ;

(ख) क्या वर्ष 2015 में मंत्रालय ने विधि आयोग से जमानत संबंधी कानून बनाने के लिए अनुरोध किया था ;

(ग) क्या जेलों में बंद विचाराधीन बंदियों को जमानत प्रदान किए जाने में हो रहे विलंब को देखते हुए, मंत्रालय संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित व्यक्ति के स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के संरक्षण हेतु जमानत प्रदान किए जाने के लिए ऐसे फार्मूले को तैयार करने पर विचार करेगा, जिसके आधार पर न्यायालय जमानत प्रदान कर सकें ; और

(घ) तीन वर्ष से अधिक अवधि से जेलों में बंद और जमानत की प्रतीक्षा कर रहे आरोपियों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : सरकार द्वारा वर्ष 2015 में भारत के विधि आयोग से भारत में जमानत अधिनियम की आवश्यकता की परीक्षा करने का अनुरोध किया गया था । भारत के विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट संख्या 268 में भारत में ज़मानत सुधारों के संबंध में अपने सुझाव अग्रेषित किए । सभी संबंधित पणधारियों के साथ गहन परामर्श और विचार-विमर्श के पश्चात्, संसद् में तीन विधेयक, भारतीय दंड संहिता, 1860 को निरसित करने के लिए भारतीय न्याय

संहिता विधेयक, 2023, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 को निरसित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को निरसित करने के लिए भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023, पुर:स्थापित किए गए, जिन्हें संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया, भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा सहमति दी गई और तारीख 25.12.2023 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया । भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023, तारीख 1 जुलाई, 2024 से प्रवृत्त हुए ।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 478 से धारा 496 में 'जमानत और बंधपत्र के बारे में उपबंध' दिए गए हैं ।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 (1) यह उपबंध करती है कि "जहां कोई व्यक्ति, किसी विधि के अधीन किसी अपराध के लिए इस संहिता के अधीन (जो ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिए उस विधि के अधीन मृत्युदंड या आजीवन कारावास एक दंड के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है) अन्वेषण, जांच या विचारण की अवधि के दौरान कारावास की उस अधिकतम अवधि के, जो उस विधि के अधीन उस अपराध के लिए विनिर्दिष्ट की गई है, आधे से अधिक की अवधि के लिए निरोध भोग चुका है, वहां वह न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ दिया जाएगा ।"

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 (1) के अधीन परंतुक प्रथम बार के अपराधी/विचारणाधीन कैदियों के लिए और अनुतोष का उपबंध करता है और यह उपबंध करता है कि "ऐसा व्यक्ति प्रथम बार का अपराधी है और जिसे (पूर्व में किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया गया हो) तो वह न्यायालय द्वारा बंधपत्र पर छोड़ दिया जाएगा, यदि वह उस विधि के अधीन ऐसे अपराध के लिए विनिर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि की एक-तिहाई विस्तारित अवधि तक निरोध में रह चुका है ।" इसके अतिरिक्त, इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अधीन ई-प्रीसर्नस पोर्टल से तकनीक-आधारित अलर्ट सृजित किए जाते हैं और विचारणाधीन कैदियों की समय पर रिहाई के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों को भेजे जाते हैं ।

(घ) : नेशनल रिकॉर्ड अपराध ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराए गए अद्यतन आंकड़ों (31.12.2024 तक) के अनुसार, देश में, तीन वर्ष से अधिक समय से जेलों में 29,936 विचारणाधीन कैदी हैं ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1393
जिसका उत्तर गुरुवार, 30 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

हरियाणा में विधिक सहायता सेवाएं

1393 # श्री संजय भाटिया :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिशा पहल 2.0 के अंतर्गत हरियाणा में जिला तथा उप-मंडल स्तर पर डिजिटल विधिक सहायता सेवाओं तथा 'न्याय सेतु' चैटबॉट के कार्यान्वयन के लिए कोई कार्ययोजना मौजूद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों और समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों के लिए 'विधि-संजीवनी' तथा अन्य डिजिटल विधिक सहायता सेवाओं के विस्तार हेतु सरकार की कोई विशेष योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या दिशा 2.0 के अंतर्गत राज्य को कोई वित्तीय सहायता संस्वीकृत की गई है और इसके परिणामस्वरूप राज्य में न्याय तक पहुंच और लंबित मामलों के निस्तारण में कितना सुधार अपेक्षित है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : 'डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस (दिशा) 2.0' स्कीम हरियाणा सहित संपूर्ण भारत में कार्यान्वयन के लिए एक केंद्रीय सेक्टर की स्कीम है, जिसमें वर्ष 2026-31 की अवधि के लिए 255 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय अनुमोदित है। दिशा 2.0 का उद्देश्य विधिक सेवाओं के लिए नागरिक अनुकूल समाधान वाले प्लेटफार्मों की पहुंच को विकसित करने और बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है। इसमें चार घटक शामिल हैं, अर्थात टेली-विधि: वंचितों तक पहुंचना (सभी को मुकदमेबाजी से पहले निःशुल्क सलाह); न्याय बंधु (प्रो बोनो विधिक सेवाएं) कार्यक्रम; विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता

कार्यक्रम और विधि (विजन फॉर इंटीग्रेटेड डिलीवरी ऑफ हार्मोनाइज्ड लीगल इनिशिएटिव्स)- संजीवनी।

टेली-विधि पंचायत स्तर पर साधारण सेवा केंद्रों (सीएसी)/ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) पर उपलब्ध विडियो/टेली कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के उपयोग के माध्यम से मुकदमेबाजी से पहले विधिक सलाह प्रदान करने के लिए मोबाइल-ऐप और टोल फ्री नंबर 14454 के माध्यम से वकीलों के पैनल के साथ लोगों को जोड़ता है। न्याय सहायक, जो सक्रिय समुदाय आधारित विधिक सुविधा प्रदाता है, को सेवा परिदान को सुदृढ़ करने के लिए आकांक्षी ब्लॉकों में लगाया गया है।

न्याय बंधु (प्रो बोनो विधिक सेवाएं) कार्यक्रम के अधीन, इच्छुक प्रो बोनो अधिवक्ता न्याय बंधु एप्लीकेशन (आईओएस/एंड्रॉइड/उमंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध) और न्याय बंधु वेब पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों (जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन निःशुल्क विधिक सहायता के हकदार हैं) के साथ रजिस्ट्रीकृत और जुड़े हुए हैं।

विधि (विजन फॉर इंटीग्रेटेड डिलीवरी ऑफ हार्मोनाइज्ड लीगल इनिशिएटिव्स)- संजीवनी को किसी केंद्रीय रुप से एकीकृत डैशबोर्ड के विकास और संचालन के माध्यम से स्कीम के निगरानी तंत्र को बढ़ाने के लिए दिशा 2.0 के अधीन एक प्रमुख घटक के रूप में परिकल्पित किया गया है। इस डैशबोर्ड का लक्ष्य एक ऐसा एकिकृत इंटरफेस प्रदान करना है, जो विभिन्न स्रोतों से रियल-टाइम डेटा को एक साथ लाए, ताकि कार्यक्रम का प्रदर्शन, सेवाओं का परिदान और कार्यान्वयन की प्रक्रिया की निगरानी आसान हो सके। इसमें 'न्याय सेतु एआई चैटबॉट' के साथ एकीकरण भी परिकल्पित है, ताकि तकनीक-आधारित सेवा सहायता मिल सके और एआई-आधारित सहायता प्रणालियों के जरिए उपयोगकर्ता के संवाद को बेहतर बनाया जा सके। जेनरेटिव एआई द्वारा संचालित बहुभाषी और बहु-मॉडल वाला न्याय सेतु चैटबॉट प्लेटफॉर्म, संपूर्ण देश में लोगों को वॉइस-फर्स्ट इंटरफेस के जरिए 22 भारतीय भाषाओं में आसान वॉइस एवं टेक्स्ट संवाद के जरिए विधिक प्रक्रियाओं, अधिकारों और आगे के कदमों को समझने में मदद करता है।

दिशा 2.0 स्कीम भारत सरकार के सकल बजटीय समर्थन के माध्यम से 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ कार्यान्वित की जाती है और निधि राज्यवार आबंटित नहीं की जाती है । दिशा 2.0 विधिक जागरूकता, मुकदमेबाजी से पहले निःशुल्क विधिक सलाह, विधिक सशक्तिकरण और मुकदमेबाजी में विवादों को बढ़ने से रोकने के लिए प्रारंभिक स्तर पर हस्तक्षेप पर ध्यान केंद्रित करता है।

******

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1396
जिसका उत्तर गुरुवार, 30 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना का चरण-III

1396 श्री उज्जवल देवराव निकम :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के चरण-III के प्रारंभ से अब तक इसके अंतर्गत आवंटित, निर्गत और उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार राज्य-वार कितने न्यायालय परिसरों में ई-सेवा केन्द्र, अभिलेखों के डिजिटलीकरण की सुविधा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान डिजिटलीकृत किए गए प्रकरण संबंधी अभिलेखों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई किए गए मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी-कितनी है ; और

(घ) महाराष्ट्र सहित जिला न्यायालयों में ई-फाइलिंग और पेपरलेस कार्यप्रणाली को सक्षम बनाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना चरण-3 के अधीन इसके प्रारंभ होने के बाद से आबंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों के वर्ष-वार ब्यौरे निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

ई-न्यायालय परियोजना चरण 3 के अधीन निधियां			
वित्तीय वर्ष	**आबंटित**		**व्यय**
	बजट अनुमान	**पुनरीक्षित अनुमान**	

2023-24	0.01	825.00	768.25
2024-25	1500.00	1200.00	1029.11
2025-26	1500.00	1200.00	717.45
2026-27	1200.00	-	29.00
कुल	**4200.01**	**3225.00**	**2543.81**

(21.07.2026 तक)

(ख) और (ग): पिछले तीन वर्ष के दौरान ई-सेवा केन्द्रों से उपलब्ध कराए गए न्यायालय परिसरों, डिजिटाइज किए गए मामलों के अभिलेख और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुने गए मामलों की संख्या के उच्च न्यायालय-वार ब्यौरे **उपाबंध-1** पर दिए गए है।

(घ) : ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के चरण-3 के अधीन महाराष्ट्र सहित जिला न्यायालयों में ई-फाइलिंग और कागज रहित कार्यकरण को सक्षम बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इनमें ई-फाइलिंग प्रणाली का सार्वभौमीकरण, वर्तमान और पुराने न्यायालयी अभिलेख के डिजिटलीकरण के माध्यम से डिजिटल मामला अभिलेख का सृजन, ई-भुगतान का कार्यान्वयन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का उपबंध, डिजिटल सेवाओं तक सहायता के लिए ई-सेवा केंद्रों की स्थापना और न्यायिक अधिकारियों, न्यायालय के कर्मचारियों और अधिवक्ताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम सम्मिलित हैं। इन पहलों का उद्देश्य न्यायिक सेवाओं की दक्षता, पहुंच और पारदर्शिता में सुधार के लिए एकीकृत, कागज रहित और डिजिटल न्यायिक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है। आज की तारीख में 474 न्यायालयों को कागज रहित न्यायालय बनाने के लिए आवश्यक हार्डवेयर से सुसज्जित किया गया हैं। ई-फाइलिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग 1.25 करोड़ मामले फाइल किए गए हैं।

बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में जिला और तालुका न्यायालयों में ई-फाइलिंग संस्करण 3.0 चालू कर दिया गया है। एनजेडीजी पोर्टल के अनुसार, 18.07.2026 तक, महाराष्ट्र राज्य के जिला और तालुका न्यायालयों में 31.16 लाख नए मामले ई-फाइल किए गए हैं, 251.96 करोड़ दस्तावेज और 14.51 करोड़ आवेदन ई-फाइल किए गए हैं। ई-फाइलिंग पोर्टल पर 98,821 अधिवक्ता रजिस्ट्रीकृत किए गए हैं।

जहां तक कागज रहित न्यायालयों का संबंध है, महाराष्ट्र राज्य में छह कागजरहित न्यायालयों की स्थापना के लिए अपेक्षित हार्डवेयर उपलब्ध कराया गया है।

****

उपाबंध-1

ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना का चरण-III के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1396 जिसका उत्तर तारीख 30.07.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ग) उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में कार्यशील ई-सेवा केंद्र, उच्च न्यायालय-वार (30.06.2026 तक)				
क्र.सं.	**उच्चतम न्यायालय**	**उच्च न्यायालयों में ई-सेवा केंद्र कार्यरत हैं**	**जिला न्यायालयों में ई-सेवा केंद्र कार्यरत हैं**	**कुल**
1	इलाहाबाद	3	124	127
2	आंध्र प्रदेश	4	34	38
3	बॉम्बे	3	351	354
4	कलकत्ता	1	50	51
5	छत्तीसगढ़	1	92	93
6	दिल्ली	1	13	14
7	गुवाहाटी - अरुणाचल प्रदेश	1	30	31
8	गुवाहाटी - असम	2	78	80
9	गुवाहाटी - मिजोरम	1	8	9
10	गुवाहाटी से नागालैंड	1	11	12
11	गुजरात	1	195	196
12	हिमाचल प्रदेश	1	39	40
13	जम्मू और कश्मीर और लद्दाख	2	25	27
14	झारखंड	2	62	64
15	कर्नाटक	3	75	78
16	केरल	1	161	162
17	मध्य प्रदेश	3	233	236
18	मद्रास	7	310	317
19	मणिपुर	1	22	23
20	मेघालय	1	16	17
21	उड़ीसा	1	183	184
22	पटना	1	104	105
23	पंजाब और हरियाणा	1	127	128
24	राजस्थान	2	29	31
25	सिक्किम	1	10	11
26	तेलंगाना	1	98	99
27	त्रिपुरा	1	16	17
28	उत्तराखंड	1	39	40
	कुल	**49**	**2535**	**2584**

स्रोत: ई-समिति, भारत का उच्चतम न्यायालय।

पिछले 03 वर्ष में उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुने गए मामलों की संख्या उच्च न्यायालय-वार (30.06.2026 तक)				
क्र.सं.	**उच्चतम न्यायालय**	**उच्च न्यायालय**	**जिला न्यायालय**	**कुल योग**
1	इलाहाबाद	8,285	23,07,066	23,15,351
2	आंध्र प्रदेश	47,971	56,522	1,04,493
3	बॉम्बे	73,972	2,79,793	3,53,765
4	कलकत्ता	50,580	1,44,771	1,95,351
5	छत्तीसगढ़	2,333	4,64,251	4,66,584
6	दिल्ली	6,410	34,95,699	35,02,109
7	गौहाटी - अरुणाचल प्रदेश	1,759	1,390	3,149
8	गुवाहाटी-असम	2,315	2,19,932	2,22,247
9	गौहाटी - मिजोरम	385	2,633	3,018
10	गुवाहाटी से नागालैंड	907	901	1,808
11	गुजरात	33,715	73,831	1,07,546
12	हिमाचल प्रदेश	3,057	89,265	92,322
13	जम्मू और कश्मीर और लद्दाख	8,275	1,49,334	1,57,609
14	झारखंड	7,831	1,35,767	1,43,598
15	कर्नाटक	60,780	75,217	1,35,997
16	केरल	3,15,478	2,31,507	5,46,985
17	मध्य प्रदेश	46,371	4,44,092	4,90,463
18	मद्रास	1,17,306	1,63,885	2,81,191
19	मणिपुर	18,750	5,491	24,241
20	मेघालय	4,128	51,543	55,671
21	उड़ीसा	68,665	1,33,529	2,02,194
22	पटना	7,875	12,87,603	12,95,478
23	पंजाब और हरियाणा	88,612	20,95,168	21,83,780
24	राजस्थान	30,615	1,10,345	1,40,960
25	सिक्किम	583	6,529	7,112
26	तेलंगाना	12,49,861	16,034	12,65,895
27	त्रिपुरा	12,942	33,892	46,834
28	उत्तराखंड	14,068	15,680	29,748
	कुल	**22,83,829**	**1,20,91,670**	**1,43,75,499**

स्रोत: ई-समिति, भारत का उच्चतम न्यायालय।

पिछले 3 वर्ष में उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में डिजिटाइज़ किए गए पृष्ठों की कुल संख्या उच्च न्यायालय-वार (30.06.2026तक)

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	उच्च न्यायालय में डिजिटाइज़ किए गए पृष्ठों की संख्या	जिला न्यायालयों में डिजिटाइज़ किए गए पृष्ठों की संख्या	उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय में डिजिटाइज़ किए गए पृष्ठों की संख्या
1	इलाहाबाद	60,28,80,120	203,96,94,596	264,25,74,716
2	आंध्र प्रदेश	4,45,23,900	25,00,95,608	29,46,19,508
3	बॉम्बे	11,19,91,881	79,42,259	11,99,34,140
4	कलकत्ता	6,13,40,099	0	6,13,40,099
5	छत्तीसगढ़	43,10,860	5,34,10,215	5,77,21,075
6	दिल्ली	23,75,13,960	11,75,68,892	35,50,82,852
7	गुवाहाटी - अरुणाचल प्रदेश	12,67,159	1,26,322	13,93,481
8	गुवाहाटी-असम	2,97,53,593	15,58,31,203	18,55,84,796
9	गुवाहाटी - मिजोरम	14,13,741	32,53,964	46,67,705
10	गुवाहाटी से नागालैंड	13,80,000	6,94,000	20,74,000
11	गुजरात	40,30,364	1,08,70,516	1,49,00,880
12	हिमाचल प्रदेश	96,45,789	36,82,642	1,33,28,431
13	जम्मू और कश्मीर और लद्दाख	4,21,62,628	3,48,98,361	7,70,60,989
14	झारखंड	3,60,09,617	1,12,67,023	4,72,76,640
15	कर्नाटक	6,96,56,018	5,27,62,634	12,24,18,652
16	केरल	9,16,80,597	2,99,83,249	12,16,63,846
17	मध्य प्रदेश	26,29,91,578	75,71,45,995	102,01,37,573
18	मद्रास	24,16,82,118	26,16,39,811	50,33,21,929
19	मणिपुर	61,52,642	60,72,695	1,22,25,337
20	मेघालय	12,50,719	38,92,356	51,43,075
21	उड़ीसा	5,33,13,761	18,84,34,938	24,17,48,699
22	पटना	2,50,36,447	4,29,50,212	6,79,86,659
23	पंजाब और हरियाणा	30,93,00,334	73,26,10,273	104,19,10,607
24	राजस्थान	14,81,32,693	7,09,17,255	21,90,49,948
25	सिक्किम	11,92,510	54,78,284	66,70,794
26	तेलंगाना	14,12,09,619	8,89,40,761	23,01,50,380
27	त्रिपुरा	77,05,872	7,53,073	84,58,945
28	उत्तराखंड	2,94,29,510	2,81,34,071	5,75,63,581
	कुल	**257,69,58,129**	**495,90,51,208**	**753,60,09,337**

स्रोत: ई-समिति, भारत का उच्चततम न्यायालय।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1398

जिसका उत्तर गुरुवार, 30 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

न्यायाधीशों के रिक्त पद

1398 श्री संजय सेठ :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे भारत के उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ अदालतों में न्यायाधीशों के लिए स्वीकृत और खाली पदों की संख्या क्या है ;

(ख) उत्तर प्रदेश में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या और कार्यरत अधिकारियों की संख्या क्या है ;

(ग) इन रिक्तियों के कारण मामलों के लंबित रहने पर क्या प्रभाव पड़ा है ;

(घ) इन रिक्तियों को तेजी से भरने के लिए उच्च न्यायालयों के साथ मिलकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ङ) 'अखिल भारतीय न्यायिक सेवा' की वर्तमान स्थिति क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : न्याय विकास पोर्टल 2.0 पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सम्पूर्ण भारत में उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायाधीशों के लिए स्वीकृत और रिक्त पदों की संख्या निम्नानुसार है :

न्यायालय का नाम	स्वीकृत पद संख्या	रिक्त पद
उच्च न्यायालय (01.07.2026 तक)	1122	341
जिला और अधीनस्थ न्यायालयों (24.07.26 तक)	30868	7311

उत्तर प्रदेश में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या और कार्यरत संख्या का अनुपात निम्नलिखित

न्यायालय का नाम	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायधीश (01.07.2026 तक)	160	107
जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारी (24.07.26 तक)	3700	2618

(ग) और (घ) : न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के सिवाय, न्यायालयों में मुकदमों के लंबित रहने के कई कारण होते हैं। इन कारणों में, अन्य बातों के अतिरिक्त, सम्मिलित तथ्यों की जटिलता, जांच की गुणवत्ता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों का सहयोग, जैसे कि बार एसोसिएशन, जांच अभिकरण, गवाह और वादी, भौतिक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता, सहायक न्यायालय कर्मचारी आदि सम्मिलित हैं।

उच्च न्यायपालिका में रिक्त पदों को भरना कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केंद्रीय स्तर पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित है, जो प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार प्राप्त किए जाते हैं। सिफारिशों पर विचार करते समय सरकार के पास विचाराधीन नामों से संबंधित अन्य रिपोर्टों को भी ध्यान में रखा जाता है। उच्च न्यायालय कॉलेजियम, राज्य सरकारों और भारत सरकार की सिफारिशें उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को परामर्श के लिए भेजी जाती हैं। केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है जिनके नाम एससीसी द्वारा सिफारिश किए गए हों।

इसके अतिरिक्त, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों को भरना संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों का दायित्व है। संवैधानिक ढांचे के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करके न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति एवं भर्ती संबंधी नियम और विनियम बनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जनवरी 2007 में मलिक मजहर सुल्तान मामले में पारित आदेश द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, कुछ समयसीमाएं अनुबद्ध की हैं, जिनका पालन राज्यों और संबंधित उच्च न्यायालयों को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती के लिए किया जाएगा।

(ङ) : संविधान का अनुच्छेद 312 में जिला न्यायाधीश से नीचे के पदों के सिवाय अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) की स्थापना का उपबंध करता है। इस प्रस्ताव की विभिन्न चरणों में जांच की गई है और प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (न्यायमूर्ति शेट्टी आयोग) के साथ-साथ भारत के विधि आयोग ने अपनी 14वीं (1958), 77वीं (1978) और 116वीं (1986) रिपोर्टों में इसकी सिफारिश की है। नवंबर 2012 में सचिवों की समिति द्वारा अनुमोदित एक व्यापक प्रस्ताव पर अप्रैल 2013 में मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में विचार किया गया, जहां यह निर्णय लिया गया कि आगे विचार-विमर्श की आवश्यकता है और राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के विचार मांगे गए। तथापि, एआईजेएस के गठन पर हितधारकों के बीच भिन्न-भिन्न मत सामने आए।

अप्रैल 2015 में आयोजित सम्मेलनों और बैठकों में इस मामले पर आगे विचार-विमर्श किया गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि संबंधित उच्च न्यायालयों को विद्यमान प्रणाली के भीतर उचित तंत्र विकसित करने का अधिकार दिया जाए ताकि जिला न्यायाधीशों के रिक्त पदों को शीघ्रता से भरा जा सके। प्रमुख हितधारकों के बीच मतभेद जारी रहने के कारण, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना पर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1399
जिसका उत्तर गुरुवार, 30 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन

1399 श्री अनिल कुमार यादव मंदादी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन करने की कोई आवश्यकता महसूस की है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार अखिल भारतीय न्यायिक सेवा स्थापित करने का विचार रखती है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ) : संविधान का अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) की स्थापना के लिए उपबंध करता है, जिसमें जिला न्यायाधीश के पद से निम्नतर कोई पद शामिल नहीं होगा।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) के गठन के लिए एक व्यापक प्रस्ताव तैयार किया गया था और सचिवों की समिति द्वारा नवंबर, 2012 में इसे अनुमोदित किया गया था। इस प्रस्ताव को अप्रैल, 2013 में आयोजित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में एक कार्यसूची मद के रूप में शामिल किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि इस मुद्दे पर और अधिक विचार-विमर्श करने और ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रस्ताव पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के विचार मांगे गए थे।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के बीच मतभेद थे।

जिला न्यायाधीशों के पद पर भर्ती में सहायता करने के लिए न्यायिक सेवा आयोग के गठन और सभी स्तरों पर न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की चयन प्रक्रिया की समीक्षा के संबंध में मामला भी मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन के कार्यसूची में शामिल किया गया था, जो तारीख 03 और 04 अप्रैल, 2015 को आयोजित किया गया था, जिसमें यह संकल्प लिया गया था कि इसे संबंधित उच्च न्यायालयों के लिए खुला छोड़ दिया जाए ताकि वे जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए रिक्तियों को तेजी से भरने के लिए विद्यमान प्रणाली के भीतर उचित तरीकों को विकसित कर सकें। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के लिए तारीख 05 अप्रैल, 2015 को आयोजित कार्यसूची में उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों के विचारों के साथ अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का प्रस्ताव भी शामिल किया गया था। तथापि, इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना के प्रस्ताव पर फिर से पात्रता, आयु, चयन मानदंड, अर्हता, आरक्षण आदि के बिंदुओं पर चर्चा की गई, यह बैठक 16 जनवरी, 2017 को तत्कालीन विधि और न्याय मंत्री की अध्यक्षता में विधि और न्याय राज्य मंत्री, भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के सॉलिसिटर जनरल, न्याय विभाग, विधिक मामलों के विभाग और विधायी विभाग के सचिवों की उपस्थिति में हुई। मार्च, 2017 में संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में और 22.02.2021 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर संसदीय समिति में भी अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना पर विचार-विमर्श किया गया।

तारीख 30 अप्रैल, 2022 को आयोजित मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के संयुक्त सम्मेलन के कार्यसूची में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के मुद्दे को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया था। तथापि, इसे सम्मेलन के कार्यसूची में शामिल नहीं किया जा सका। प्रमुख हितधारकों के बीच विद्यमान मतभेद को देखते हुए, वर्तमान में, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना के प्रस्ताव पर कोई सहमति नहीं है।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. *197

जिसका उत्तर गुरुवार, 06 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

न्यायालयों में पद तथा रिक्तियां

***197 श्री सतनाम सिंह संधू :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों के संस्वीकृत तथा रिक्त पदों की संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय तथा उसके अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त पदों की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ग) क्या रिक्त पदों के कारण होने वाले न्यायिक विलंबों का पंजाब जैसे राज्यों में आर्थिक एवं दीवानी मामलों पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इन रिक्तियों को त्वरित आधार पर भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

"न्यायालयों में पद तथा रिक्तियां" के संबंध में राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *197, जिसका उत्तर तारीख 06.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

(क) से (ख) : 31.07.2026 की स्थिति के अनुसार, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या और रिक्तियां निम्नानुसार हैं :

न्यायालय	**स्वीकृत संख्या**	**रिक्तियां**
उच्चतम न्यायालय	38 (भारत के मुख्य न्यायमूर्ति सहित)	3
उच्च न्यायालय	1122	341
अधीनस्थ न्यायालय	30,868	7,311

31.07.2026 तक, 85 न्यायाधीशों की संख्या में से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में 55 न्यायाधीश काम कर रहे हैं । 30.07.2026 तक पंजाब में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 834 में से 696 न्यायाधीश काम कर रहे हैं ।

(ग) से (घ) : उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है और 28 अक्टूबर, 1998 (तीसरे न्यायाधीश के मामले में) की सलाहकारी राय के साथ पठित 6 अक्टूबर, 1993 (द्वितीय न्यायाधीश का मामला) के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में 1998 में तैयार प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है । प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को आरंभ करने का उत्तरदायित्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को आरंभ करने का उत्तरदायित्व उच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित होता है । प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, उच्च न्यायालयों को रिक्ति होने से कम से कम 06 महीने पहले सिफारिशें करना अपेक्षित होता है । तथापि, इस समय-सीमा का पालन कदाचित ही कभी किया जाता है । उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के लिए, संबंधित राज्य सरकार के विचार प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार प्राप्त किए जाते हैं । सिफारिशों पर ऐसी अन्य रिपोर्टों के आलोक में भी विचार किया जाना चाहिए जो विचाराधीन नामों के संबंध में सरकार के पास उपलब्ध हो सकती हैं । इसके पश्चात् उच्च न्यायालय कॉलेजियम, राज्य सरकार और भारत सरकार की सिफारिशों को सलाह के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को भेजा जाता है । केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जाता है जिनके नाम एससीसी द्वारा सिफारिश किए गए हैं ।

उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है । इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित होता है ।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने का उत्तरदायित्व संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों का है । संवैधानिक ढांचे के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से, संबंधित राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और भर्ती के संबंध में नियम और विनियम बनाती है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने मलिक मजहर सुल्तान मामले में जनवरी, 2007 में पारित आदेश द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती के लिए राज्यों और संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा अनुसरण की जाने वाली कतिपय समय-सीमाएं निर्धारित की है ।

विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है । तथापि, संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन यथा अधिदेशित मामलों के त्वरित निपटान और लंबित मामलों को कम करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है । सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के तेजी से निपटान के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए कई पहल की हैं, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अधीन न्याय तक पहुंच बढ़ाने और अधिक पारदर्शिता के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों का समामेलन, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुन:निर्धारण और मानव संसाधन विकास पर जोर देना सम्मिलित है ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2189

जिसका उत्तर गुरुवार, 06 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

ई-लोक अदालत

2189 # श्री मदन राठौड़ :

श्री राजेश परमानंद शुक्ल :

श्री तरुण चुग :

श्री सामिक भट्टाचार्य :

श्रीमती साधना सिंह :

श्री संजय भाटिया :

श्री बाबू राम निषाद :

श्रीमती सीमा द्विवेदी :

श्री शंभु शरण पटेल :

श्री कणाद पुरकायस्थ :

श्री सदानंद महालू शेट तानवडे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ई-लोक अदालतों के माध्यम से लिए गए और निपटाए गए मामलों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या क्या है ;

(ख) इस अवधि के दौरान ई-लोक अदालतों के माध्यम से प्राप्त मौद्रिक समझौते की कुल राशि क्या है ;

(ग) उन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के नाम क्या हैं जहाँ इस अवधि के दौरान नई ई-लोक अदालतें शुरू की गई हैं या उनका विस्तार किया गया है ; और

(घ) इस पहल को राष्ट्रव्यापी स्तर पर विस्तारित करने के लिए आगे क्या कदम प्रस्तावित हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : ई-लोक अदालत की धारणा कोविड महामारी की अवधि के दौरान पहली बार पुर:स्थापित हुई थी, जब न्यायालयों का भौतिक रूप से कामकाज करना कठिन हो गया था।

ई-लोक अदालत में प्रौद्योगिकी का उपयोग उसके अधिकतम फयदे तक किया गया है तथा यह जनता को घर-द्वार पर न्याय के परिदान हेतु एक प्लेटफार्म बन गया है। पहली ई-लोक अदालत 27.06.2020 को आयोजित हुई थी तथा तब से ई-लोक अदालतें विभिन्न विधिक सेवा प्राधिकरणों (एलएसए) द्वारा आयोजित की गई हैं। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान ई-लोक अदालतों में सुने गए मामलों, निपटाए गए मामलों तथा धनीय समझौते की तय रकम (वाद-पूर्व तथा लंबित मामलों दोनों में) का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा **उपाबंध - क** पर है ।

महामारी के पश्चात् विधिक सेवा प्राधिकरणों (एलएसए) ने राष्ट्रीय लोक अदालतों को आयोजित करने में प्रौद्योगिकी तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग को अनुकूलित किया है । वह ई-लोक अदालतों के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहे हैं । ई-लोक अदालत के संवर्द्धन के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा उठाए गए कदमों के अंतर्गत मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करना, अधिकारियों/न्यायालय कर्मचारिवृंद का तकनीकी प्रशिक्षण तथा माइक्रोसोफ्ट टीम, विद्यो ऐप, व्हाट्सऐप, जूम क्लाउड मीटिंग एप्लीकेशन आदि जैसे ऑनलाइन प्लेटफार्म का उपयोग भी है ।

*****

उपाबंध-क

'ई-लोक अदालत' के संबंध में राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 2189 जिसका उत्तर तारीख 06.08.2026 को दिया जाना है के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के दौरान सुने गए मामले, निपटाए गए मामले तथा धनीय समझौते की तय रकम का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य प्राधिकरण का नाम	2023-24			2024-25			2025-26		
		कुल मामले		समझौते की कुल रकम (रुपये में)	कुल मामले		समझौते की कुल रकम (रुपये में)	कुल मामले		समझौते की कुल रकम (रुपये में)
		सुने गए	निपटाए गए		सुने गए	निपटाए गए		सुने गए	निपटाए गए	
1.	छत्तीसगढ	2,954	765	5,05,63,131	572	496	5,67,64,723	21,113	21,072	10,08,00,000
2.	दिल्ली	1,289	1,289	3,50,94,214	0	0	0	1,080	876	3,84,25,689
3.	गुजरात	14,22,201	9,13,564	50,51,48,092	15,82,964	12,09,542	66,64,05,138	25,49,358	19,07,485	1,28,58,46,284
4.	कर्नाटक	21,562	16,118	21,16,75,192	15,559	14,908	22,47,76,847	6,02,169	6,01,660	2,24,15,28,164
5.	महाराष्ट्र	4,50,23,478	12,35,187	1,78,59,82,711	1,20,27,518	13,16,929	3,05,34,76,799	7,62,767	6,47,269	1,52,34,83,708
6.	उत्तर प्रदेश	1,60,285	1,23,193	5,13,39,627	57,997	30,350	32,79,563	9,119	4,541	26,77,319
	कुल योग	**4,66,31,769**	**22,90,116**	**2,63,98,02,967**	**1,36,84,611**	**25,72,225**	**4,00,47,03,070**	**39,45,606**	**31,82,903**	**5,19,27,61,164**

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2191
जिसका उत्तर गुरुवार, 06 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत मामले

2191 प्रो. मनोज कुमार झा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधिनियमन के पश्चात् उसके अंतर्गत अपील, पुनरीक्षण, अंतरण याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय तक पहुँचे मामलों की वर्ष-वार संख्या कितनी है ;

(ख) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें विचारण न्यायालय के निर्णय की अपीलीय न्यायालयों द्वारा पुष्टि की गई, उसे संशोधित किया गया, अथवा रद्द किया गया ;

(ग) उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों के निपटान में लगने वाला औसत समय कितना है ; और

(घ) क्या सरकार न्यायिक प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर इस अधिनियम के अंतर्गत मामलों की गतिविधि तथा निपटान संबंधी आँकड़े रखती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों की जाँच करने, अपराधों की रोकथाम करने तथा नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने की जिम्मेदारी, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य भी शामिल हैं, संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन पर निहित है।

केंद्रीय सरकार समय-समय पर राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को आपराधिक न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए परामर्श जारी करती है, जिसमें विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और

अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम पर बल दिया जाता है । उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अपील, पुनरीक्षण, स्थानांतरण तथा याचिकाओं के माध्यम से पहुँचे मामलों के संबंध में आंकड़े केंद्रीय रुप से नहीं रखे जाते हैं । इसके अतिरिक्त, अपीलीय न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए कोई निश्चित समय-सीमा विहित नहीं की गई है । न्यायालयों में मामलों का समयबद्ध निपटान कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता, अंतर्विष्ट मामलों के तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति और हितधारकों अर्थात् बार अनवेषण अभिकरण, साक्षियों तथा वादकारी का सहयोग भी शामिल है।

तथापि, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा प्रकाशित "क्राइम इन इंडिया 2024" रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित कुल 55,685 मामले तथा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित कुल 9,961 मामले रजिस्ट्रीकृत किए गए थे । वर्ष 2024 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन दोषसिद्धि दर अनुसूचित जातियों से संबंधित मामलों में 33.9 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मामलों में 33.2 प्रतिशत थी ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2193
जिसका उत्तर गुरुवार, 06 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

न्याय मिलने में देरी

2193 # श्री रामजी लाल सुमन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारियों की कमी के कारण न्यायालयों में मौखिक आदेशों की घोषणा के बाद कई-कई दिन लिखित आदेश जारी नहीं हो रहे हैं ;

(ख) देश के अधीनस्थ और उच्च न्यायालयों में रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) विगत पांच वर्षों में अधीनस्थ कर्मचारियों के भरे गए पदों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या न्याय की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को पर्याप्त अधीनस्थ कर्मचारियों की कमी के कारण न्याय मिलने में देरी का सामना करना पड़ रहा है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में कर्मचारियों की रिक्तियों को भरना केंद्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है । भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 और 235 के अधीन विद्यमान उपबंध के अनुसार जिला न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण और नियंत्रण की शक्ति संबंधित उच्च न्यायालय में निहित है। केंद्रीय सरकार ने न्यायालयों में कर्मचारियों की किसी कमी के प्रभाव पर कोई अध्ययन नहीं किया है।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 30.07.2026 तक उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में क्रमश: न्यायाधीशों के 341 पद और न्यायिक अधिकारियों के 7311 पद रिक्त है। पिछले पांच वर्षों के दौरान भरे गए अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों के पदों के विवरण से संबंधित जानकारी केंद्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2194
जिसका उत्तर गुरुवार, 06 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

यौन अपराध के मामलों में उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देश

2194 श्रीमती राजाथी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जुलाई 2026 में उच्चतम न्यायालय की उस हालिया टिप्पणी के बारे में जानकारी है जिसमें यौन अपराधों के मामलों से निपटने में संवेदनशीलता बरतने की आवश्यकता पर बल दिया गया है ;

(ख) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषता क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की रिपोर्ट को राज्य सरकारों सहित संबंधित हितधारकों के साथ साझा किया है ; और

(घ) देश भर की न्यायिक और कानून-व्यवस्था बनाए रखने वाली संस्थाओं में ऐसे दिशानिर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : जी हां, माननीय उच्चतम न्यायालय ने 14.07.2026 को *स्वतः संज्ञान याचिका (आपराधिक) संख्या 1/2025* के अपने निर्णय में, लैंगिक अपराधों से संबंधित एक मामले पर विचार करते हुए, पीड़ितों और अन्य असुरक्षित व्यक्तियों से संबंधित न्यायिक प्रक्रियाओं में करुणा, सहानुभूति और संवेदनशीलता की आवश्यकता पर जोर दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय का ये मानना है कि निष्पक्ष, अनुक्रियात्मक और प्रभावी न्याय प्रणाली के संचालन के लिए, न्यायिक निर्णयों में करुणा, मानवता और संवेदनशीलता के मूल्यों का समावेश

अपरिहार्य हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के माध्यम से गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के रूप में जारी दिशा-निर्देशों का उद्देश्य न्यायिक कार्यवाही में, विशेष रूप से लैंगिक अपराधों से जुड़े मामलों में, लैंगिक संवेदनशीलता और आघात-आधारित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना है। इन दिशा-निर्देशों का मुख्य उद्देश्य न्यायिक प्रशिक्षण और जागरूकता के माध्यम से न्याय प्रशासन में सहानुभूति, गरिमा और निष्पक्षता को प्रोत्साहित करते हुए, असंवेदनशील प्रतिपरीक्षा के कारण होने वाले द्वितीयक आघात का निवारण करना है। रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताओं में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित अंतर्विष्ट हैं:

- लैंगिक न्याय के संवैधानिक और न्यायिक सिद्धांतों के विकसित होने की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिसमें गरिमा, समानता, निजता, शारीरिक सुस्वस्थता और स्वायत्तता पर ज़ोर दिया गया है। इससे आपराधिक न्याय प्रणाली के हितधारकों को लैंगिक मामलों में संवेदनशीलता और गरिमापूर्ण ढंग से कार्यवाही करने में सहायता मिलेगी।
- ऐसे मामलों में प्रतिपरीक्षा करने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिसमें पीड़ित के लैंगिक इतिहास और अन्य अनुचित विचारों पर निर्भरता से बचाव के उपाय सम्मिलित हैं।
- यह जांच और न्यायनिर्णय प्रक्रियाओं में संभावित लैंगिक पूर्वाग्रहों और पक्षपातों के क्षेत्रों की पहचान करने में प्रगतिशील न्यायिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है।
- न्यायिक आदेशों और निर्णयों में लिंग-संवेदनशील और सम्मानजनक भाषा के प्रयोग की सिफारिश करता है।
- यह करुणापूर्ण, आघात-सूचित और पीड़ित-केंद्रित न्यायालयीय प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है जो सभी हितधारकों की गरिमा और गोपनीयता को संरक्षित करती हैं।

भारत के उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए दायर की गई रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 1/2025 का निर्णय और स्वतः संज्ञान लेते हुए दायर की गई रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 1/2025 में विविध आवेदन संख्या 1998/2026 का निर्णय और प्रकाशन 'निर्णय और लिंग (निर्णय लिखने में संवेदनशीलता और करुणा)' उपलब्ध करा दिए गए हैं।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *281
जिसका उत्तर गुरुवार, 13 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

विचाराधीन कैदियों हेतु विधिक सहायता

***281 श्री ए. ए. रहीम :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विचाराधीन कैदियों की संख्या और उनकी प्रतिशतता का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) इसी अवधि के दौरान निःशुल्क कानूनी सहायता का लाभ उठाने वाले विचाराधीन कैदियों की राज्य-वार संख्या तथा प्रतिशतता कितनी-कितनी है ;

(ग) क्या सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक श्रेणियों के विचाराधीन कैदियों के अलग-अलग आंकड़े रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार न्याय तक पहुंच में असमानताओं का आकलन करने हेतु ऐसे आंकड़ों के संग्रहण एवं प्रकाशन का विचार रखती है ; और

(ङ) विचाराधीन कैदियों को समयबद्ध विधिक प्रतिनिधित्व मिलना सुनिश्चित करने और उनकी दीर्घकालिक हिरासत को रोकने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

<u>श्री ए.ए. रहीम द्वारा पूछे गए 'विचाराधीन कैदियों हेतु विधिक सहायता' से संबंधित राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 281, जिसका उत्तर तारीख 13.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण</u>

(क) से (**ङ**) : राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए नवीनतम आंकड़ों (31-12-2024 को यथास्थिति) के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार विचाराधीन कैदियों की संख्या और प्रतिशत **उपाबंध-क** में दिया गया है । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, हिरासत में रखे गए सभी व्यक्ति विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं । पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने वाले हिरासत में रखे गए व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या **उपाबंध-ख** में दी गई है । एनसीआरबी, गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए नवीनतम आंकड़ों (31.12.2024 को यथास्थिति) के अनुसार, विचाराधीन कैदियों का श्रेणी-वार विवरण (एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य) **उपाबंध-ग** में है ।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 4 के अधीन 'कारागार और कैदी' राज्य सूची का विषय है । इसलिए, कारागारों और कैदियों के प्रशासन और प्रबंधन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है । केन्द्रीय सरकार इस संबंध में राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है । जमानत सुधारों को लागू करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा कई पहल की गई हैं । भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 479 (1) में प्रावधान है कि "जहां कोई व्यक्ति, किसी विधि के अधीन किसी अपराध के लिए इस संहिता के अधीन (जो ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिए उस विधि के अधीन मृत्युदंड या आजीवन कारावास एक दंड के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है) अन्वेषण, जांच या विचारण की अवधि के दौरान कारावास की उस अधिकतम अवधि के, जो उस विधि के अधीन उस अपराध के लिए विनिर्दिष्ट की गई है, आधे से अधिक की अवधि के लिए निरोध भोग चुका है, वहां वह न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ दिया जाएगा । इसके अतिरिक्त, अंतर-प्रचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) के अधीन ई-कारागार पोर्टल के माध्यम से प्रौद्योगिकी आधारित अलर्ट तैयार किए जाते हैं और विचाराधीन कैदियों की समय पर रिहाई के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों को भेजे जाते हैं ।

गरीब कैदियों, जो उन पर अधिरोपित किए गए जुर्माने का भुगतान करने में असमर्थ हैं या वित्तीय तंगी के कारण जमानत प्राप्त करने में असमर्थ हैं, को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार "गरीब कैदियों को सहायता" नामक एक स्कीम कार्यान्वित कर रही है । स्कीम के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देशों और मानक प्रचालन प्रक्रिया में 1 लाख रुपये तक की जमानत सहायता, मामले की प्रक्रिया के लिए समय-सीमा निर्धारित करने और निधियों की निकासी और उपयोग के लिए प्रक्रियाओं के सरलीकरण का प्रावधान है । राष्ट्रीय

विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने पात्र विचाराधीन कैदियों और दोषसिद्धों की रिहाई की सिफारिश करने के लिए सभी जिलों में विचाराधीन समीक्षा समितियों (यूटीआरसी) की स्थापना के लिए पहल की है । देश भर में यूटीआरसी द्वारा त्रैमासिक बैठकें आयोजित की जाती हैं ।

*****

उपाबंध-क

'विचाराधीन कैदियों हेतु विधिक सहायता' से संबंधित राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 281, जिसका उत्तर तारीख 13.08.2026 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विचाराधीन कैदी और कुल जेल कैदियों में हिस्सेदारी का प्रतिशत							
क्रम सं.	राज्य/संघ रा ज्यक्षेत्र का नाम	2022		2023		2024	
		विचाराधीन कैदी	% शेयर	विचाराधीन कैदी	% शेयर	विचाराधीन कैदी	% शेयर
1.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	173	67.1	168	45.0	168	42.5
2.	आंध्र प्रदेश	5,123	70.6	5,568	70.6	5,705	72.6
3.	अरुणाचल प्रदेश	184	54.9	188	52.2	242	51.7
4.	असम	8,608	74.3	7,546	70.8	8,144	69.8
5.	बिहार	57,537	88.6	46,529	87.7	45,339	87.2
6.	चंडीगढ़	832	69.6	718	67.2	610	65.0
7.	छत्तीसगढ़	12,820	62.7	11,520	62.5	12,478	66.4
8.	दादरा और नागर हवेली, दमण और दीव	162	92.0	134	92.4	111	97.4
9.	दिल्ली	16,759	90.6	17,834	88.8	17,178	88.0
10.	गोवा	572	84.0	476	83.8	519	84.4
11.	गुजरात	11,129	67.0	11,549	66.9	12,286	69.2
12.	हरियाणा	19,279	75.7	19,292	74.7	19,015	76.8
13.	हिमाचल प्रदेश	1,926	66.9	1,827	64.9	1,942	65.1
14.	जम्मू-कश्मीर	4,587	86.3	4,568	84.6	4,552	84.6
15.	झारखंड	14,786	75.4	13,584	72.0	11,232	69.3
16.	कर्नाटक	12,605	77.8	11,723	76.9	10,908	75.5
17.	केरल	5,610	63.2	6,064	61.1	6,148	59.6
18.	लद्दाख	26	86.7	42	91.3	41	80.4
19.	लक्षद्वीप	6	100.0	3	100.0	5	100.0
20.	मध्य प्रदेश	26,877	55.0	22,964	50.4	23,132	51.3
21.	महाराष्ट्र	32,883	80.1	32,438	79.5	31,523	80.8
22.	मणिपुर	592	69.2	416	77.8	326	72.4
23.	मेघालय	829	72.9	881	68.7	918	65.3
24.	मिजोरम	1,049	66.4	1,247	63.7	917	58.9
25.	नागालैंड	302	64.4	432	73.1	363	70.6
26.	ओडिशा	16,058	84.7	14,778	81.3	12,879	77.5
27.	पुदुचेरी	210	65.0	304	71.4	229	68.8
28.	पंजाब	24,198	78.6	24,503	77.7	23,922	78.0
29.	राजस्थान	19,233	78.0	17,263	75.9	18,176	74.8
30.	सिक्किम	268	69.3	171	53.8	151	50.0
31.	तमिलनाडु	11,564	61.5	12,351	62.6	13,274	65.1
32.	तेलंगाना	4,221	65.0	3,799	64.9	5,002	73.8
33.	त्रिपुरा	735	61.6	847	63.7	1,261	71.6
34.	उत्तर प्रदेश	94,131	77.4	73,491	74.3	59,194	68.2
35.	उत्तराखंड	4,722	68.9	4,398	63.9	3,256	58.7
36.	पश्चिमी बंगाल #	23,706	82.3	20,294	78.7	20,294	78.7
	कुल	**4,34,302**	**75.8**	**3,89,910**	**73.5**	**3,71,440**	**72.6**
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार ।							
# 2024 के लिए पश्चिमी बंगाल से आंकड़े प्राप्त न होने के कारण, 2023 के लिए प्रस्तुत आंकड़ा उपयोग किया गया है ।							

उपाबंध- ख

'विचाराधीन कैदियों हेतु विधिक सहायता' से संबंधित राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 281, जिसका उत्तर तारीख 13.08.2026 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन प्रदान की गई विधिक सेवाओं के माध्यम से हिरासत में रहने वाले लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या

क्रम सं.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम	2022-23	2023-24	2024-25
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	26	64	3
2	आंध्र प्रदेश	1,989	2,220	3,289
3	अरुणाचल प्रदेश	1,582	1,440	1,330
4	असम	9,556	17,711	25,489
5	बिहार	37,872	34,778	31,677
6	चंडीगढ़	654	418	780
7	छत्तीसगढ़	11,693	14,601	21,610
8	दादरा और नागर हवेली, दमण और दीव	10	22	31
9	दिल्ली	29,370	24,794	18,630
10	गोवा	281	232	314
11	गुजरात	7,882	10,184	10,862
12	हरियाणा	30,973	35,367	66,229
13	हिमाचल प्रदेश	650	725	703
14	जम्मू-कश्मीर	722	1,184	1,299
15	झारखंड	9,542	19,352	33,281
16	कर्नाटक	7,102	8,647	8,972
17	केरल	3,961	5,653	3,473
18	लद्दाख	2	0	43
19	लक्षद्वीप	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	53,796	58,171	93,264
21	महाराष्ट्र	8,573	20,687	20,535
22	मणिपुर	1,161	282	498
23	मेघालय	916	865	877
24	मिजोरम	1,147	599	676
25	नागालैंड	620	628	499
26	ओडिशा	4,165	4,473	11,536
27	पुदुचेरी	135	71	100
28	पंजाब	20,213	24,764	33,615
29	राजस्थान	3,528	11,000	13,064
30	सिक्किम	376	218	167
31	तमिलनाडु	9,501	8,989	12,088
32	तेलंगाना	5,283	4,258	5,635
33	त्रिपुरा	344	1,115	1,588
34	उत्तर प्रदेश	7,838	7,328	6,979
35	उत्तराखंड	2961	14,701	19,420
36	पश्चिमी बंगाल	15,545	18,383	24,398
	कुल	**2,89,969**	**3,53,924**	**4,72,954**

उपाबंध- ग

'विचाराधीन कैदियों हेतु विधिक सहायता' से संबंधित राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 281, जिसका उत्तर तारीख 13.08.2026 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

31.12.2024 तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र और प्रवर्ग-वार विचाराधीन कैदियों की संख्या						
क्रम सं.		**अनुसूचित जाति**	**अनुसूचित जनजाति**	**अन्य पिछड़ा वर्ग**	**अन्य**	**कुल**
1.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0	12	7	149	168
2.	आंध्र प्रदेश	984	1,138	1,791	1,792	5,705
3.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	242
4.	असम	862	904	2,535	3,843	8,144
5.	बिहार	8,728	1,795	24,921	9,895	45,339
6.	चंडीगढ़	259	0	121	230	610
7.	छत्तीसगढ़	2,330	4,035	4,221	1,892	12,478
8.	दादरा और नागर हवेली, दमण और दीव	20	15	27	49	111
9.	दिल्ली	-	-	-	-	17,178
10.	गोवा	48	65	64	342	519
11.	गुजरात	1,329	2,130	5,548	3,279	12,286
12.	हरियाणा	4,958	1,112	5,548	7,397	19,015
13.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	1,942
14.	जम्मू-कश्मीर	221	586	237	3,508	4,552
15.	झारखंड	1,646	3,140	3,988	2,458	11,232
16.	कर्नाटक	-	-	-	-	10,908
17.	केरल	864	206	3,672	1,406	6,148
18.	लद्दाख	0	18	1	22	41
19.	लक्षद्वीप	0	4	0	1	5
20.	मध्य प्रदेश	4,527	4,439	8,699	5,467	23,132
21.	महाराष्ट्र	-	-	-	-	31,523
22.	मणिपुर	0	63	87	176	326
23.	मेघालय	55	652	32	179	918
24.	मिजोरम	52	813	7	45	917
25.	नागालैंड	26	255	49	33	363
26.	ओडिशा	3,274	2,921	3,833	2,851	12,879
27.	पुदुचेरी	43	0	184	2	229
28.	पंजाब	5,798	1,144	3,159	13,821	23,922
29.	राजस्थान	3,412	1,698	7,199	5,867	18,176
30.	सिक्किम	27	36	57	31	151
31.	तमिलनाडु	3,859	275	8,461	679	13,274
32.	तेलंगाना	1,036	591	2,550	825	5,002
33.	त्रिपुरा	183	251	141	686	1,261
34.	उत्तर प्रदेश	14,777	5,016	20,613	18,788	59,194
35.	उत्तराखंड	-	-	-	-	3,256
36.	पश्चिमी बंगाल #	2,437	840	2,442	14,575	20,294
	कुल	**61,755**	**34,154**	**1,10,194**	**1,00,288**	**3,71,440**

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार ।

$ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने ब्यौरा नहीं दिया है ।

2024 के लिए पश्चिमी बंगाल से आंकड़े प्राप्त न होने के कारण, 2023 के लिए प्रस्तुत आंकड़ा उपयोग किया गया है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2978
जिसका उत्तर गुरुवार, 13 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

न्यायालयों में महिला-अनुकूल अवसंरचना

2978 श्रीमती राजाथी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलग बार कक्ष, शिशु देखरेख सुविधाएं एवं फीडिंग रूम (शिशु स्तनपान कक्ष) सहित महिला-अनुकूल अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ;

(ख) क्या मंत्रालय ने न्यायालयों में ऐसी सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में कोई आकलन किया है ; और

(ग) न्यायालयों में महिला-अनुकूल अवसंरचना सुनिश्चित करने हेतु मंत्रालय द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है । तथापि, राज्य और संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए केंद्रीय सरकार 1993-94 से जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए एक केंद्रीयकृत प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रही है । स्कीम के अधीन पांच घटक सम्मिलित हैं, जैसे न्यायालय हाल, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय इकाइयां, अधिवक्ताओं के लिए हाल, शौचालय परिसर और डिजिटल कम्प्यूटर कक्ष।

विशिष्ट पहलू, जिनमें न्यायालयों में महिलाओं के लिए अनुकूल अवसंरचना सम्मिलित हैं, उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं । उच्च न्यायालय की भवन अवसंरचना समिति, न्यायालय हालों का डिजाइन और केंद्रीयकृत प्रायोजित स्कीम के अधीन वित्तपोषित परियोजनाओं को अनुमोदित करती है । तथापि, केंद्रीयकृत प्रायोजित स्कीम दिशानिर्देश न्यायालय हालों के लिए मापदंड और विशिष्टताएं प्रदान करते हैं, जो उच्चतम न्यायालय की राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली समिति की सिफारिशों और विभिन्न राज्यों और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अपनाए जाने वाले मानदंडों और पद्धतियों पर आधारित हैं ।

*****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2979
जिसका उत्तर गुरुवार, 13 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

लंबित मामलों की संख्या कम करना

2979 श्री देबाशीष सामंतराय :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने हेतु क्या-क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ख) कार्यरत फास्ट ट्रैक न्यायालयों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का निस्तारण न्यायपालिका के अधिकार-क्षेत्र में आता है। न्यायालयों में मामलों का समयबद्ध निस्तारण कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें, अन्य बातों के साथ, पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों, सहायक न्यायालयी कर्मचारियों की उपलब्धता और भौतिक अवसंरचना, अंतर्ग्रस्त तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, तथा संबंधित हितधारकों अर्थात् अधिवक्ता समुदाय, अन्वेषण अभिकरणों, साक्षियों और वादकारियों का सहयोग शामिल है। तथापि, सरकार मामलों के शीघ्र निस्तारण तथा लंबित मामलों की संख्या में कमी लाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु अनुकूल परिवेश उपलब्ध कराने के लिए कई पहल की हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत न्याय तक पहुंच बढ़ाने तथा अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों का समावेशन, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत तथा विधायी उपाय, नवीन आपराधिक विधियों का अधिनियमन, विशेष त्वरित

न्यायालयों की स्थापना, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का संवर्धन तथा मानव संसाधन विकास पर बल देना शामिल है।

(ख) से (घ) : त्वरित न्यायालय (एफटीसी) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से, मामलों की विशिष्ट श्रेणियों के त्वरित विचारण के लिए, उनकी अपेक्षाओं और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार स्थापित किए जाते हैं। उच्च न्यायालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 884 एफटीसी कायार्त्मक हैं। कायार्त्मक त्वरित न्यायालयों (एफटीसी) के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे उपाबंध में दिए गए है।

****

उपाबंध

30.06.2026 तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कार्यात्मक त्वरित न्यायालय (एफटीसी)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कार्यात्मक एफटीसी
1	आंध्र प्रदेश	21
2	अंदमान और निकोबार द्वीप	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0
4	असम	17
5	बिहार	0
6	चंडीगढ़	0
7	छत्तीसगढ	27
8	दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव	0
9	दिल्ली	26
10	गोवा	4
11	गुजरात	54
12	हरियाणा	6
13	हिमाचल प्रदेश	3
14	जम्मू और कश्मीर	8
15	झारखंड	40
16	कर्नाटक	0
17	केरल	0
18	लद्दाख	0
19	लक्षद्वीप	0
20	मध्य प्रदेश	0
21	महाराष्ट्र	117
22	मणिपुर	6
23	मेघालय	0
24	मिजोरम	2
25	नागालैंड	0
26	ओडिशा	0
27	पुडुचेरी	1
28	पंजाब	7
29	राजस्थान	0
30	सिक्किम	2
31	तमिलनाडु	73
32	तेलंगाना	0
33	त्रिपुरा	2
34	उत्तर प्रदेश	373
35	उत्तराखंड	7
36	पश्चिम बंगाल	88
	कुल	884

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2980
जिसका उत्तर गुरुवार, 13 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

बिहार के अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामले

2980 श्री अखिलेश प्रसाद सिंह :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार के अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित दीवानी एवं आपराधिक मामलों की बढ़ती संख्या की समीक्षा की है ;

(ख) क्या न्यायिक अधिकारियों की कमी, न्यायालयीय अवसंरचना की अपर्याप्तता एवं डिजिटल सुविधाओं के अभाव के कारण न्याय प्रदायगी में विलंब हुआ है ;

(ग) न्यायिक अवसंरचना और मामला प्रबंधन प्रणालियों में सुधार के लिए राज्य सरकार के साथ समन्वय से क्या-क्या उपाय किए गए हैं ; और

(घ) क्या बिहार के अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए कोई समयबद्ध कार्य-योजना तैयार की गई है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : तारीख 07.08.2026 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध डाटा के अनुसार, संपूर्ण बिहार में जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों में 37,81,445 **मामले (5,47,036 सिविल तथा 32,34,409 दांडिक) लंबित हैं ।**

(ख) से (घ) : जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार तथा संबद्ध उच्च न्यायालयों का है । सांविधानिक ढांचे के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 233 तथा 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के

अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकार उच्च न्यायालयों के परामर्श से न्यायिक अधिकारियों की भर्ती तथा नियुक्ति से संबंधित नियमों तथा विनियमों की विरचना करती है । वर्तमान में, बिहार में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या 2,030 है । पटना उच्च न्यायालय द्वारा यह सूचित किया गया है कि न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या की तुलना में वहां 174 न्यायालय हॉल की कमी है । तथापि, न्यायालय हॉल तथा आवासीय क्वाटरों की उपलब्धता कार्यरत न्यायिक अधिकारियों की संख्या से अधिक है, जो कि स्वीकृत संख्या से 374 अन्यून है ।

जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकार में निहित होता है । पटना उच्च न्यायालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, बिहार के अधीनस्थ न्यायालयों की अवसंरचना सुविधाओं की मॉनीटरी हेतु राज्य न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण (एसजेआईए) समिति गठित की गई है । समिति समय-समय पर राज्य सरकार के संबद्ध प्राधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित करती है । तथापि, राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के संसाधनों के संवर्द्धन के लिए, केंद्रीय सरकार 1993-94 से जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) कार्यान्वित कर रही है । स्कीम के अंतर्गत पांच घटक आते हैं अर्थात् न्यायालय हॉल, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय यूनिट, अधिवक्ता हॉल, शौचालय परिसर तथा डिजिटल कंप्यूटर कक्ष । उक्त स्कीम के अधीन, स्कीम के आरंभ से बिहार राज्य को केंद्रीय निधि के रुप में 663.06 करोड़ रुपये प्रदान किए जा चुके हैं । चालू वित्तीय वर्ष (वि.व. 2026-27) में, बिहार के लिए 50.88 करोड़ रुपये का अंतरिम आंबटन किया गया है जिसमें से 25.44 करोड़ रुपये की मूल स्वीकृति जारी की गई है ।

भारत सरकार, उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के समन्वयन में, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना कार्यान्वित कर रही है । परियोजना के अधीन, बिहार में 2204 न्यायालय कंप्यूटरीकृत किए गए हैं । इसके अतिरिक्त, विभिन्न अन्य पहल की गई हैं, जिसके अंतर्गत मामलों की ई-फाइलिंग, न्यायालय फीस/जुर्माने का ई-संदाय, बेहतर मामला प्रबंधन के लिए मामला सूचना प्रणाली, समन/न्यायालय नोटिस के लिए इलैक्ट्रानिक प्रक्रिया प्रणाली की राष्ट्रीय सेवा और ट्रैकिंग, 1373 स्थापनों (न्यायालय,कारावास, अस्पताल सहित) में विडियो कान्फ्रैसिंग सुविधा, न्यायालय अभिलेख के 6.79 करोड़ पृष्ठों का डिजिटलीकरण, न्यायिक कारबार की प्रभावी मॉनीटरी के लिए न्यायाधीशों की सहायता हेतु जस्टआईएस एप्प, नागरिकों के लिए 105 ई-सेवा केंद्रों की स्थापना तथा 54 न्यायालय परिसरों में सौर ऊर्जा सुविधा का संस्थापन भी है । और, मुवक्किल राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड पर न्यायालयों के सभी मामलों के आदेशों/निर्णयों तथा अन्य ब्यौरों तक अभिगम कर सकते हैं ।

सरकार, मामलों के त्वरित निपटान तथा लंबन को कम करने के लिए पूर्णत: प्रतिबद्ध है । सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के त्वरित निपटान के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र

प्रदान करने के लिए अनेकों पहल की हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों की समय रहते नियुक्ति अंतर्वलित है, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना जिसके अंतर्गत कंप्यूटरीकरण, अनुकल्पी विवाद समाधान तंत्र का संवर्द्धन, नई दंड विधियां 2023 का अधिनियमन तथा कार्यान्वयन और त्वरित निपटान विशेष न्यायालय की स्थापना भी है । तथापि, न्यायालय के मामलों का निपटान विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की पर्याप्त संख्या की उपलब्धता, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंद, भौतिक अवसंरचना, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, अन्वेषण की गुणवत्ता, साक्ष्यों की प्रकृति, पणधारियों का सहयोग अर्थात् बार, अन्वेषण अभिकरण, गवाह, मुवक्किल भी हैं ।

पटना उच्च न्यायालय ने भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 30 वर्षों, 20-30 वर्षों तथा 10-20 वर्षों से ऊपर के लंबित सभी पुराने मामलों के निपटान के लिए विरचित कार्य योजना को जिला न्यायपालिका में बकाया की कमी हेतु (एपीएएआर-डीजे) कार्यान्वित किया है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2981
जिसका उत्तर गुरुवार, 13 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

ई-कोर्ट एकीकृत मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वय

2981 श्री भाष्यम् रामा कृष्ण :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में ई-कोर्ट एकीकृत मिशन मोड परियोजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसके कार्यान्वयन चरण के अंतर्गत शुरू की गई प्रमुख पहलें क्या हैं ;

(ख) क्या इस परियोजना से न्यायालयों में मामला प्रबंधन, डिजिटल फाइलिंग और वर्चुअल सुनवाई में सुधार हुआ है ;

(ग) आंध्र प्रदेश में परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है, जिसमें राज्य में उक्त योजना के अंतर्गत कंप्यूटरीकृत, डिजिटलीकृत और एकीकृत न्यायालयों की संख्या शामिल है; और

(घ) राज्य में ई-कोर्ट सेवाओं तक व्यापक पहुंच सक्षम करने हेतु वादियों और अधिवक्ताओं के बीच डिजिटल साक्षरता और जागरूकता में सुधार हेतु क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना को न्यायिक प्रणाली में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के उपयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से पूरे देश में चरणबद्ध रीति से कार्यान्वयन किया जा रहा है। जारी चरण अर्थात [चरण 3 (2023-27)] अभिलेखों के डिजिटलीकरण, आभासी सुनवाई के व्यापक उपयोग, न्याय संस्थानों में गहरी अंतरसंचालनीयता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सहित उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने के माध्यम से डिजिटल, कागज

रहित और अधिक बुद्धिमान न्यायालयों की ओर परिवर्तन की परिकल्पना करता है। परियोजना के चरण-3 के अधीन प्राप्त प्रगति का विवरण **उपाबंध-1** पर है।

(ख) : ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के कार्यान्वयन ने मामला सूचना प्रणाली (सीआईएस) 4.0 और जस्टआईएस एप्लिकेशन के माध्यम से मामला प्रबंधन में सुधार किया है, जिससे न्यायाधीशों को डिजिटल रूप से मामलों का प्रबंधन और निगरानी करने में सक्षम बनाया जा सकता है। इसने ई-फाइल प्रणाली के माध्यम से डिजिटल फाइलिंग को मजबूत किया है, जो मामलों और संबंधित आवेदनों की ऑनलाइन फाइलिंग और न्यायालय फीस के ऑनलाइन भुगतान के लिए ई-संदाय की सुविधा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं ने कार्यान्वित न्यायालयों में आभासी और हाइब्रिड न्यायालय की सुनवाई को सक्षम किया है । इन पहलों ने न्यायिक प्रशासन और सेवा वितरण की दक्षता, पहुंच और पारदर्शिता को बढ़ाया है।

(ग) : ई-समिति, भारत के उच्चतम न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य में इस स्कीम के अधीन 658 न्यायालय परिसरों का कंप्यूटरीकरण और एकीकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश में 16 न्यायालय परिसरों का डिजिटलीकरण किया गया है।

(घ) : ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अधीन, आंध्र प्रदेश सहित मुकदमेबाजों और वकीलों के बीच डिजिटल साक्षरता और जागरूकता में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इनमें प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्षमता निर्माण कार्यशालाएं, उपयोगकर्ता मैनुअल, वीडियो ट्यूटोरियल और उच्च न्यायालयों और राज्य न्यायिक अकादमियों के माध्यम से आयोजित आउटरीच पहल शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, ई-सेवा केंद्र ई-फाइल पोर्टल पर पंजीकरण, याचिकाओं की स्कैनिंग और अपलोड करने, न्यायालय फीस के ऑनलाइन भुगतान, मामले की स्थिति पूछताछ, प्रमाणित प्रति आवेदनों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अन्य डिजिटल न्यायालय सेवाओं तक पहुंच में मुकदमेबाजों और अधिवक्ताओं की सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त, ई-न्यायालय सेवाएं, जिला न्यायालय की वेबसाइटें और ई-न्यायालय मोबाइल एप्लिकेशन मामले की स्थिति, कारण सूची, निर्णय, आदेश और अन्य न्यायालय संबंधी जानकारी तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान करते हैं। ये पहल डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देती हैं, जागरूकता बढ़ाती हैं और ई-न्यायालय सेवाओं तक व्यापक पहुंच को सुगम बनाती हैं।

****

उपाबंध-1

ई-कोर्ट एकीकृत मिशन मोड परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2981 जिसका उत्तर तारीख 13.08.2026 को दिया जाना है के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

ई-न्यायालय चरण -3 के अधीन प्राप्त प्रगति का विवरण:

क्र.सं.	घटक का नाम	उपलब्धि
1.	पूरी तरह से कार्यात्मक ईसेवा केंद्र	1806 को न्यायालय परिसरों में स्थापित किया गया
2.	कागज रहित न्यायालयों के लिए अवसंरचना की स्थापना	474 न्यायालयों में आवश्यक हार्डवेयर से सुसज्जित हैं।
3.	मजबूत डिजिटल अवसंरचना का निर्माण करके न्यायालय के मामलों की सुनवाई के लिए वर्चुअल न्यायालय का विस्तार।	538 न्यायालय सुसज्जित हैं
4.	संपूर्ण न्यायालय अभिलेख का डिजिटलीकरण - विरासत अभिलेख और नए मामलों की फाइलिंग दोनों	753.60 करोड़ पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया गया
5.	न्यायालय के मामले की ई-फाइलिंग का कार्यान्वयन	4519 न्यायालय
6.	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए उपलब्ध अवसंरचना को बढ़ाने और उन्नत करने का उपबंध	7553 प्रतिष्ठानों में न्यायालयों, जेलों और अस्पतालों सहित वीसी सुविधाएं हैं।
7.	न्यायालय रूम लाइव ऑडियो-विजुअल स्ट्रीमिंग प्रणाली	11 उच्च न्यायालय
8.	आईसीटी अवसंरचना की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सौर सुविधाएं	1626 न्यायालय परिसर सुसज्जित हैं
9.	नेशनल सर्विस एंड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेस (एनस्टैप) सुविधा प्रदान करना	6895 न्यायालयों में एन.एस.टी.ई.पी. सुविधा है।
10.	सभी उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय की वेबसाइटों का एस3डब्ल्यूएएस प्लेटफॉर्म पर माइग्रेशन	734 न्यायालय स्थलों को स्थानांतरित किया गया
11.	दूसरे चरण में न्यायालयों और न्यायिक अधिकारियों के लिए अतिरिक्त हार्डवेयर	18380 न्यायालयों ने प्रदान किया
12.	न्यायालयों, पुलिस, जेलों, फोरेंसिक प्रयोगशालाओं जैसे विभिन्न स्तंभों के बीच डेटा और सूचना के निर्बाध हस्तांतरण को सक्षम करने के लिए इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) के साथ एकीकरण	सभी उच्च न्यायालयों ने आईसीजेएस को लागू किया है
13.	सभी हितधारकों का प्रशिक्षण	2372 प्रशिक्षण आयोजित किए गए
14.	संयोजकता	सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क (एसडीडब्ल्यूएएन) तकनीक से जुड़े 174 साइट

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2983
जिसका उत्तर गुरुवार, 13 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

न्यायिक बुनियादी ढ़ांचे का सुदृढ़ीकरण

2983 # श्री नवीन जैन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केंद्र प्रायोजित योजना (एसएनए-स्पर्श) के अंतर्गत न्यायालय भवनों, अतिरिक्त अदालत कक्षों, न्यायिक अधिकारियों के आवास, ई-कोर्ट, डिजिटल अवसंरचना तथा न्यायिक कर्मचारियों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर कोई व्यापक कार्ययोजना लागू कर रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या सरकार न्यायिक सुधारों के अंतर्गत समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करने, लंबित मुकदमों में उल्लेखनीय कमी लाने तथा भविष्य में जनसंख्या वृद्धि एवं मुकदमों की संभावित संख्या को ध्यान में रखते हुए न्यायिक क्षमता में वृद्धि के लिए कोई राष्ट्रीय नीति अथवा दीर्घकालिक रोडमैप तैयार कर रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख): न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। तथापि, राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों सरकारों के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सरकार वर्ष 1993-94 से जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) कार्यान्वित कर रही है। इस स्कीम के अधीन पांच घटक जैसे न्यायालय हॉल, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय इकाइयां, वकीलों का हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर कक्ष सम्मिलित हैं ।

निधि जारी करने के एसएएनए-एसपीएआरएसएच मॉडल के अधीन, राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को मूल मंजूरी जारी की जाती है और वे सीएसएस स्कीम दिशानिर्देशों का पालन करते हुए मूल मंजूरी की सीमा के भीतर पहचान की गई परियोजनाओं पर खर्च कर सकते हैं। उपरोक्त सीएसएस के अधीन केंद्रीय सहायता के रूप में स्कीम की शुरुआत के बाद से राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को 12,858.25 करोड़ रुपये (30.06.2026 तक) की धनराशि प्रदान की गई है। वर्तमान वित्त वर्ष 2026-27 में, सीएसएस के अधीन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को 401.5 करोड़ रुपये की मूल मंजूरी जारी की गई है। 30.06.2026 तक, 30,825 न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या के समक्ष न्यायिक अधिकारियों के लिए 22,639 न्यायालय हॉल और 21,495 आवासीय इकाइयां उपलब्ध हैं।

विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। तथापि, सरकार मामलों के शीघ्र निपटान और लंबित मामलों को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के तेजी से निपटान के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र प्रदान करने के लिए कई पहल की हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ न्यायाधीशों की समय पर नियुक्ति, कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देना, नई आपराधिक विधि 2023 का अधिनियमन और कार्यान्वयन और त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों की स्थापना सम्मिलित है।

ई- न्यायालय परियोजनाओं (2023-2027) का चरण- 3, जिसे 13.09.2023 को 7,210 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था, रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, आभासी सुनवाई, संस्थाओं में पारस्परिकता और न्यायिक क्षमता के विस्तार के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने के माध्यम से डिजिटल, कागज रहित न्यायालयों की ओर परिवर्तन की कल्पना करता है। ई- न्यायालय परियोजनाओं के अधीन, विभिन्न पहल की गई हैं, जिनमें मामलों की ई-फाइलिंग, न्यायालय फीस/जुर्माने का ई-भुगतान, बेहतर मामला प्रबंधन के लिए मामला सूचना प्रणाली, राष्ट्रीय सेवा और समन/ न्यायालय सूचना के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोसेस सिस्टम की ट्रैकिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा, न्यायालय रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, न्यायिक कार्य की प्रभावी निगरानी के लिए न्यायाधीशों की सहायता करने के लिए जस्टआईएस ऐप, नागरिकों के लिए ई-सेवा केंद्र की स्थापना और न्यायालय परिसरों में सौर ऊर्जा सुविधा की स्थापना सम्मिलित हैं। । इसके अतिरिक्त, वादकारी राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड पर न्यायालय के आदेशों/निर्णयों और सभी न्यायालयों के मामलों के अन्य ब्यौरे प्राप्त कर सकते हैं।

*****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2985
जिसका उत्तर गुरुवार, 13 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

एफटीएससी के लिए राष्ट्रीय कार्य-निष्पादन ढांचा

2985 श्री एस. निरंजन रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, यह देखते हुए कि वर्ष 2024 में कई राज्यों में दोषसिद्धि की दर 10 प्रतिशत से कम रही और कई राज्यों में औसत जांच का समय 1,000 दिनों से अधिक रहा है, फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी) के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है ;

(ख) क्या सरकार एफटीएससी के लिए एक राष्ट्रीय कार्य-निष्पादन संबंधी रूपरेखा तैयार करने का विचार रखती है, जिसमें दोषसिद्धि दर, लंबित मामलों में कमी, निपटान की दक्षता और विचारण की समय-सीमा के लिए समान मानक तय किए जाएं ; और

(ग) यदि हाँ, तो प्रस्तावित निगरानी और जवाबदेही तंत्र सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अधिनियमन और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश [स्वतः संज्ञान रिट (आपराधिक) संख्या 1/2019] के अनुसरण में विशेष त्वरित न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना के लिए, जिसमें विशेष पॉक्सो (ई-पॉक्सो) न्यायालय भी शामिल हैं, केंद्र प्रायोजित स्कीम तारीख 2 अक्टूबर 2019 को आरंभ की गई । ये न्यायालय बलात्संग और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन दंडनीय अपराधों से संबंधित लंबित मामलों के समयबद्ध विचारण और निपटान के लिए समर्पित हैं।

मामले के निपटान में लगने वाला समय और दोषसिद्धि दर कई परस्पर संबंधित कारकों पर निर्भर करते हैं, जो विशेष त्वरित न्यायालयों (एफटीएससी) की संस्थागत संरचना से परे होते हैं। इन कारकों में जांच की गुणवत्ता, मामले में शामिल तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति एवं गुणवत्ता और हितधारकों के सहयोग, जैसे बार, जांच अभिकरण, कानूनी प्रतिनिधित्व, न्यायालयिक सहायता, गवाह और मुवक्किल शामिल हैं । इसलिए, दोषसिद्धि दरें आवश्यक रूप से न्यायालय के प्रदर्शन को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं और इन्हें समग्र रूप से समझा जाना चाहिए, जिसमें आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी आयामों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिनमें पुलिस, न्यायालयिक प्रयोगशालायें और वकील शामिल हैं। न्यायालयों को कानून के अनुसार न्याय प्रदान करने की आज्ञा दी जाती है, जिसमें अभियुक्त को दोषमुक्त करना भी शामिल हो सकता है।

विशेष त्वरित न्यायालय स्कीम के अधीन अनुश्रवण को मजबूत करने और परिणामों में सुधार के लिए, राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों और उच्च न्यायालयों के साथ दृश्य दूरसंलाप के माध्यम से नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। माननीय विधि एवं न्याय मंत्री ने माननीय मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के माननीय मुख्य न्यायाधीशों को भी पत्र लिखा है, जिसमें लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अधीन निर्धारित सांविधिक समय-सीमाओं का दृढ़तापूर्वक पालन करने पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त, अंतर-राज्यीय क्षेत्रीय परिषद की बैठकों की कार्यसूची में विशेष त्वरित न्यायालयों का प्रदर्शन एक नियमित मद है, जिसका उद्देश्य अंतर-सरकारी समन्वय को सुधारना और न्याय वितरण को शीघ्रता प्रदान करना है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2986
जिसका उत्तर गुरुवार, 13 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

एफटीसी और एफटीएससी में लंबित मामले

2986 श्री मुकुल वासनिक :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अभी कार्यशील फास्ट ट्रैक न्यायालयों (एफटीसी) और फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है ;

(ख) इन न्यायालयों में आज की तिथि तक लंबित मामलों की संख्या कितनी है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इन न्यायालयों में दोषसिद्धि की राज्य-वार औसत दर कितनी है ; और

(ग) इन न्यायालयों में न्यायाधीशों और विशेष सरकारी वकीलों (एसपीपी) के स्तर पर वर्तमान में रिक्त पदों की संख्या कितनी है और सरकार इन रिक्त पदों को शीघ्रता से भरने के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा विशेष श्रेणी के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए, उनकी अपेक्षाओं और स्रोतों की उपलब्धता के अनुसार, संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से त्वरित न्यायालय स्थापित किए जाते हैं । उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 30.06.2026 तक 21 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 884 त्वरित न्यायालय कार्यरत हैं । कार्यरत त्वरित न्यायालयों की लंबितता के साथ राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरे **उपाबंध-1** में दिए गए हैं। इन त्वरित न्यायालयों को स्थापित करने के लिए राज्यों को कोई केन्द्रीय सहयोग नहीं प्रदान किया जाता है ।

इसके अतिरिक्त, तवरित न्यायालयों जिसमें विशिष्ट पॉक्सो (ई-पॉक्सो) सम्मिलित है, अक्तुबर, 2019 तक त्वरित न्यायालयों के स्थापन के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम लाई गई है । ये न्यायालय ब्लात्संग और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन अपराधों से संबंधित लंबित मामलों की समयबद्ध सुनवाई और निपटान के लिए समर्पित हैं । उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार देशभर के 29 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में **399 विशिष्ट पॉक्सो (ई-पॉक्सो)** न्यायालय सहित **779 एफटीएससी** न्यायालय कार्यरत हैं । कार्यरत विशेष त्वरित न्यायालयों के, जिसमें लंबितता सहित पॉक्सो न्यायालय भी सम्मिलित हैं, राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरे **उपाबंध-2** में दिए गए हैं ।

पिछले तीन वर्षों के लिए एफटीएससी की राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार दोषसिद्धि दर **उपाबंध-3** में दी गई है ।

(ग) : संविधानिक ढांचे के अनुसार राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से न्यायिक अधिकारियों की भर्ती और नियुक्ति के संबंध में नियम विरचित करती हैं । तदनुसार, एफटीसी और एफटीएससी सहित जिला और अधिनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों का है ।

****

उपाबंध-1

30.06.2026 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कार्यरत त्वरित न्यायालय (एफटीसीएस)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कार्यात्मक एफटीसी	लंबित मामलों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	21	6817
2	अंदमान और निकोबार द्वीप	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0
4	असम	17	17145
5	बिहार	0	0
6	चंडीगढ़	0	0
7	छत्तीसगढ	27	5491
8	दादरा और नागर हवेली और दीव दमण	0	0
9	दिल्ली	26	7385
10	गोवा	4	1446
11	गुजरात	54	4896
12	हरियाणा	6	869
13	हिमाचल प्रदेश	3	203
14	जम्मू और कश्मीर	8	1319
15	झारखंड	40	8489
16	कर्नाटक	0	0
17	केरल	0	0
18	लद्दाख	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0
20	मध्य प्रदेश	0	0
21	महाराष्ट्र	117	135340
22	मणिपुर	6	131
23	मेघालय	0	0
24	मिजोरम	2	276
25	नागालैंड	0	0
26	ओडिशा	0	0
27	पुदुचेरी	1	4793
28	पंजाब	7	161
29	राजस्थान	0	0
30	सिक्किम	2	18
31	तमिलनाडु	73	89703
32	तेलंगाना	0	0
33	त्रिपुरा	2	911
34	उत्तर प्रदेश	373	1374820
35	उत्तराखंड	7	1217
36	पश्चिमी बंगाल	88	93245
	कुल	**884**	**1754675**

उपाबंध- 2

ई-पॉक्सो न्यायालय सहित कार्यरत एफटीएससी की 30.06.2026 तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार लंबितता

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	विशेष पॉक्सो अदालतों सहित कार्यात्मक एफटीएससी	लम्बितता
1	आंध्र प्रदेश	16	5453
2	असम	17	6837
3	बिहार	54	24425
4	चंडीगढ़	1	183
5	छत्तीसगढ	15	1796
6	दिल्ली	16	3179
7	गोवा	1	158
8	गुजरात	35	4923
9	हरियाणा	18	4803
10	हिमाचल प्रदेश	6	469
11	जम्मू और कश्मीर	4	530
12	कर्नाटक	30	5571
13	केरल	55	6612
14	मध्य प्रदेश	67	10943
15	महाराष्ट्र	38	40726
16	मणिपुर	2	20
17	मेघालय	5	1167
18	मिजोरम	3	94
19	नागालैंड	1	44
20	ओडिशा	44	8967
21	पुदुचेरी	1	240
22	पंजाब	12	1413
23	राजस्थान	45	3550
24	तमिलनाडु	20	9065
25	तेलंगाना	36	8806
26	त्रिपुरा	3	241
27	उत्तराखंड	7	1213
28	उत्तर प्रदेश	218	98359
29	पश्चिमी बंगाल	9	6310
	कुल	**779**	**256097**

उपाबंध-3

त्वरित न्यायालय (एफटीएससी) में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार दोषसिद्धि दर

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	औसत दोषसिद्धि दर (%)		
		वर्ष 2023	वर्ष 2024	वर्ष 2025
1	आंध्र प्रदेश	3.97	5.19	5.55
2	असम	16.70	35.00	21.00
3	बिहार	17.29	14.51	9.65
4	चंडीगढ़	67	16.92	18.50
5	छत्तीसगढ	16.88	23.69	14.01
6	दिल्ली	24.94	8.59	10.92
7	गोवा	39	9.69	18.75
8	गुजरात	7.42	9.53	9.34
9	हरियाणा	15.52	40.50	17.00
10	हिमाचल प्रदेश	25.04	8.24	15.50
11	जम्मू और कश्मीर	6	4.50	4.44
12	झारखंड*	21.2	14.78	20.80
13	कर्नाटक	12.54	8.10	7.04
14	केरल	9.9	13.00	14.51
15	मध्य प्रदेश	27.45	14.50	23.32
16	महाराष्ट्र	10.55	6.07	22.22
17	मणिपुर	21.86	7.00	64.70
18	मेघालय	58.49	45.00	52.78
19	मिजोरम	14.14	33.50	58.50
20	नागालैंड	24	25.00	80.00
21	ओडिशा	13.32	10.63	8.43
22	पुदुचेरी	17	17.94	19.00
23	पंजाब	12.46	47.19	23.00
24	राजस्थान	22.6	18.29	16.58
25	तमिलनाडु	28.5	25.82	31.35
26	तेलंगाना	7.12	7.00	20.21
27	त्रिपुरा	6.87	5.30	21.00
28	उत्तराखंड	22.42	22.50	20.20
29	उत्तर प्रदेश	26.49	25.11	25.22
30	पश्चिमी बंगाल	1	2.00	11.00
* झारखंड राज्य ने 07.07.2025 के पत्र द्वारा एफटीएससी स्कीम से बाहर निकलने का विनिश्चय किया है।				

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2987
जिसका उत्तर गुरुवार, 13 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

न्यायपालिका में रिक्त पद

2987 डा. वी. शिवादासन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पाँच वर्षों के दौरान न्यायिक सेवा में संस्वीकृत पदों की संख्या और संस्थान-वार, वर्ष-वार और सामाजिक श्रेणी-वार वर्तमान संख्या कितनी है; और

(ख) उक्त वर्षों के दौरान उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्ष-वार और सामाजिक श्रेणी-वार संख्या कितनी है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : न्याय विकास पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के स्वीकृत पदों की संख्या और कार्यरत पदों की संख्या वर्ष-वार निम्नानुसार है:

क्र. सं.	वर्ष	उच्चतम न्यायालय		उच्च न्यायालय		जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय	
		स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या
1	**2021**	34	33	1,098	687	24,492	19,328
2	**2022**	34	28	1,108	769	25,077	19,319
3	**2023**	34	33	1,114	784	25,345	20,018
4	**2024**	34	33	1,122	751	25,753	20,694
5	**2025**	34	33	1,122	818	25,900	21,093
6	**2026 (तारीख 04.08.2026 तक)**	38	35	1,122	780	30,868	23,558

उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 तथा अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है, जो किसी जाति या वर्ग के आरक्षण का उपबंध नहीं करता है । इसलिए, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के मध्य किसी जाति या वर्ग के प्रतिनिधित्व से संबंधित श्रेणी-वार आंकड़े केन्द्रीय रुप से उपलब्ध नहीं है । इसके अतिरिक्त, जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों एवं उच्च न्यायालयों पर है । संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार, अनुच्छेद 309 के परंतुक के साथ पठित अनुच्छेद 233 तथा अनुच्छेद 234 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार संबंधित उच्च न्यायालय से परामर्श कर न्यायिक अधिकारियों की भर्ती एवं नियुक्ति के संबंध में नियम और विनियम बनाती हैं।

प्रक्रिया ज्ञापन (एम.ओ.पी.) के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों की पहल का उत्तरदायित्व भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित है, जबकि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रस्तावों की पहल का उत्तरदायित्व संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में निहित है । तथापि, सरकार न्यायपालिका में विविधता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है । सरकार द्वारा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से निरंतर अनुरोध किया जाता रहा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषित करते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से संबंधित उपयुक्त अभ्यर्थियों पर समुचित विचार किया जाए, ताकि न्यायिक नियुक्तियों में सामाजिक विविधता सुनिश्चित की जा सके।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2990
जिसका उत्तर गुरुवार, 13 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति

2990 श्री हारिस बीरान :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 2026 से उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा सरकार को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए की गई सिफारिशों की उच्च न्यायालय-वार संख्या कितनी है ;

(ख) इनमें से कितनी सिफारिशें स्वीकृत और अधिसूचित की गई हैं और कितनी लंबित हैं और प्रत्येक के लंबित रहने के क्या विशिष्ट कारण हैं ;

(ग) क्या केरल उच्च न्यायालय से संबंधित सिफारिश भी लंबित सिफारिशों में शामिल है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके विशिष्ट कारण क्या हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन तथा उच्चतम न्यायालय के तारीख 6 अक्तूबर, 1993 (दूसरा न्यायाधीश मामला) के निर्णय के साथ पठित उनकी तारीख 28 अक्तूबर, 1998 (तीसरा न्यायाधीश मामला) की सलाहकारी राय के अनुसरण में वर्ष 1998 में तैयार की गई प्रक्रिया

ज्ञापन में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को प्रारंभ करने का उत्तरदायित्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को प्रारंभ करने का उत्तदायित्व संबद्ध उच्च न्यायालय के दो उत्तरवर्ती वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित है। प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा किसी रिक्ति के होने से कम से कम छह मास पूर्व सिफारिशें किया जाना अपेक्षित है। तथापि, इस समयसीमा का बिरले ही पालन किया जाता है। उच्च न्यायालयों की नियुक्तियों के लिए, प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार संबद्ध राज्य सरकार के विचार प्राप्त किए जाते हैं। सिफारिशों पर ऐसी अन्य रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए भी विचार किया जाता है, जो विचाराधीन नामों के संबंध में सरकार के पास उपलब्ध हों। उच्च न्यायालय कॉलेजियम, राज्य सरकार और भारत सरकार की सिफारिशें तब उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को सलाह के लिए अग्रेषित की जाती हैं। केवल उन व्यक्तियों को, जिनके नामों की सिफारिशें उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा की गई हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जाता है।

जनवरी, 2026 से तारीख 10.08.2026 तक केरल उच्च न्यायालय में 1 न्यायाधीश सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों में 52 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं।

****